[2020] एस. सी. आर. 307

निदेशक छत्तीसगढ़ राज्य का प्रबंधन

को-ऑपरेटिव बैंक मैरिडिट

वी.

जिला सहकारी केंद्रिया बैंक मरियम और ओआरएस।

(2020 की सिविल अपील संख्या 1961)

04 मार्च, 2020

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

अजय रस्तोगी, जे. जे.]

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960-एस। 49 - ई (2), 56 (3)-अपीलार्थी, एक राज्य सहकारी निकाय, का शीर्ष निकाय है

छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारी बैंक-प्रथम प्रतिवादी एक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है-प्रथम प्रतिवादी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति-उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि एस के संदर्भ में। 54 (3) , सी. ई. ओ. की नियुक्ति में अपीलार्थी की कोई भूमिका नहीं थी और सी. ई. ओ. नियुक्त करने की शक्ति का प्रयोग केवल जिला केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा एक निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर नियुक्ति करने में विफलता पर ही पंजीयक द्वारा किया जा सकता था-आयोजितः एस की उप-धारा (1)। 49 ई एक शीर्ष सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित है जबकि उप-धारा (2) केंद्रीय सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ - एस. 54 एस. की उप-धारा (3) के अधिकारियों के संवर्ग के बारे में बात करता है। 54 यह सोसाइटियों के ऐसे वर्ग के लिए यह अनिवार्य बनाता है कि वे कैडर पदों पर कैडर अधिकारियों को स्वीकार करें और नियुक्त करें जब भी उन्हें शीर्ष या केंद्रीय सोसाइटियों द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है। 54 (3) संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा संशोधित किया गया था-वर्तमान विवाद 2016 के आधार पर उत्पन्न हुआ अधिनियम में संशोधन जिसने खंड (ए) और (बी) को धाराओं में जोड़ा। 54 (3) 1960 के अधिनियम-उप-धारा (3) के खंड (ए) में निर्धारित किया गया है कि सहकारी बैंक के सीईओ के पद के लिए पात्रता मानदंड ये हैं -

इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित और खंड (बी) में यह निर्धारित किया गया है कि यदि संबंधित सहकारी बैंक इसके तहत सीईओ नियुक्त करने में विफल रहता है।

एस के दायरे में एक केंद्रीय समाज है। 49 - ई (2), सी. ई. ओ. की नियुक्ति गठित संवर्ग के अधिकारियों में से की जाएगी और एस के तहत बनाए रखा। 54 , जहाँ ऐसे संवर्ग का गठन किया गया है -

राज्य सरकार को इसके अनुसरण में अधिसूचना जारी करने का अधिकार है।

एस के तहत इसे प्रदान की गई शक्ति का। 54 (3) यह निर्दिष्ट करते हुए कि ऐसा सहकारी बैंक अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को बनाए गए संवर्ग से नियुक्त करेगा

एपेक्स सोसायटी द्वारा जैसा कि उसमें अधिसूचित किया गया है-अधिसूचित एपेक्स सोसाइटी संबंधित सहकारी बैंक को अधिकारियों का एक पैनल भेजेगी, जिसमें से सहकारी बैंक अपने सीईओ की नियुक्ति करेगा, बशर्ते कि ऐसे अधिकारी के पास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड हों; और जहां एस के तहत कोई कैडर गठित नहीं किया गया हो। 54 , एक सहकारी बैंक का सी. ई. ओ. जो एस. के अधीन एक केंद्रीय सोसायटी है। 49 - ई (2) को पंजीयक के पूर्व अनुमोदन के साथ नियुक्त किया जाएगा

एस में निर्धारित। 49 - ई (2) (बी) (ii)-तत्काल मामले में, प्रथम प्रतिवादी एक केंद्रीय सोसायटी है जो एस के दायरे में आती है। 49 - 1960 के अधिनियम का ई (2)-एस द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए। 54 (3) 1960 के अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार ने 12 जनवरी 1971 को एक अधिसूचना जारी की

यह निर्दिष्ट करते हुए कि केंद्रीय सहकारी बैंक अधिकारियों को उनकी उपलब्धता के अनुसार, केवल राज्य सहकारी बैंक द्वारा बनाए गए संवर्गों से नियुक्त करने के लिए बाध्य थे-सातवां प्रतिवादी अपीलार्थी द्वारा बनाए गए संवर्ग का अधिकारी नहीं है-नतीजतन, सातवें प्रतिवादी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की मांग में पहले प्रतिवादी की कार्रवाई कानून में टिकाऊ नहीं थी-अपीलार्थी द्वारा छठे प्रतिवादी की नियुक्ति को पहले प्रतिवादी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सोसायटी के पंजीयक द्वारा अनुमोदित किया गया था और पहले प्रतिवादी के बी. ओ. डी. द्वारा स्वीकार किया गया था-इस प्रकार, छठे प्रतिवादी की नियुक्ति एस. के संदर्भ में थी। 54 (3) और कानूनी रूप से टिकाऊ था-उच्च न्यायालय की खंड पीठ के आदेश को दरकिनार कर दिया गया।

क़ानूनों की व्याख्याः सामंजस्यपूर्ण निर्माण-आयोजितः

किसी कानून के दो प्रावधानों की व्याख्या करने में, अदालतों को ऐसी व्याख्या को अपनाना चाहिए जो किसी भी प्रावधान को विफल नहीं करती है और अपने अधिनियमन द्वारा परिकल्पित उपचार को आगे बढ़ाती है-यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि जहां किसी अधिनियम के दो प्रावधान विरोधाभासी प्रतीत होते हैं, अदालतों को एक ऐसी व्याख्या अपनानी चाहिए जो दोनों प्रावधानों को यथासंभव सर्वोत्तम सीमा तक सुसंगत बनाती है-जहां एक अधिनियम के दो प्रावधान विरोधाभासी प्रतीत होते हैं, अदालतें आसानी से एक 'या' स्थिति का अनुमान नहीं लगाती हैं-अदालतों को दोनों प्रावधानों के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रावधानों का अर्थ लगाना चाहिए, जहां तक संभव हो, दोनों प्रावधानों का प्रभावी संचालन इस तरह से किया जाना चाहिए जो अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है।

अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से व्याख्या की गई-किसी भी शब्द या क़ानून के हिस्से को अलग-अलग नहीं माना जाना चाहिए -

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960।

एम. डी. छत्तीसगढ़ राज्य सीओओपी। बैंक मैरीडिट बनाम। जिला सहकारी केंद्रिया बैंक मरियम

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. धारा 54 में इसके लिए प्रावधान हैं -

प्रबंधकों, सचिवों और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति

समाज। उप-धारा (1) में कहा गया है कि एक प्रबंधक, सचिव, लेखाकार या अन्य वेतनभोगी अधिकारी की नियुक्ति केवल तभी की जाएगी जब वे

निर्धारित योग्यताएँ रखें। उप-खंड का एक पठन

यह दर्शाता है कि नियुक्तियाँ करने की शक्ति समाज के पास ही निहित है। धारा 54 की उप-धारा (2) शीर्ष और केंद्रीय समितियों पर अधिकारियों के ऐसे संवर्ग को बनाए रखने का दायित्व डालती है।

जैसा कि राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है। पंजीयक को इस प्रकार गठित संवर्ग के सदस्यों की सेवा की शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार है। [पैरा 21,22] [327-ई-एफ]

1960 के अधिनियम, नियमों में इसके विपरीत कुछ भी निहित है इसके तहत या समाज के उप-कानून। धारा 49-ई इस प्रकार समाजों में निहित शक्ति के लिए एक अपवाद तैयार करती है

वर्ग-II अधिकारी के पद से कम नहीं, जो सोसायटी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। धारा (2) के खंड (बी) में कहा गया है कि सीईओ की नियुक्ति संवर्ग के अधिकारियों में से की जाएगी। धारा 54 के तहत बनाए रखा गया है, यदि ऐसा संवर्ग गठित किया गया है और अन्य सभी मामलों में, [2020] 5 एस. सी. आर. के पंजीयक के पूर्व अनुमोदन के साथ।

सहकारी समितियाँ। इस प्रकार, केंद्रीय समितियों के लिए जो आते हैं

धारा 49-ई (2) के दायरे में, प्रबंध निदेशक या महाप्रबंधक (जो सी. ई. ओ. होगा) के लिए नियुक्ति का स्रोत धारा 54 के तहत गठित संवर्ग से लिए गए अधिकारियों में से होना चाहिए, यदि ऐसा संवर्ग गठित किया गया है। अन्य सभी मामलों में, केंद्रीय सोसायटी के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध निदेशक या महाप्रबंधक की नियुक्ति की जा सकती है।

सहकारी समितियों के पंजीयक। [पैरा 23] [327-जी-एच; 328-ए-ई]

3. केंद्रीय सोसायटी को धारा 49-ई (2) के दायरे में लाने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता यह है कि राज्य सरकार ने अपनी शेयर पूंजी में योगदान दिया है, ऋण या वित्तीय सहायता दी है, ऋण, डिबेंचर या अग्रिमों के पुनर्भुगतान की गारंटी दी है या किसी अन्य रूप में अनुदान दिया है। जाहिर है, यह प्रावधान विधायिका द्वारा केंद्रीय समितियों पर नियामक नियंत्रण बनाए रखने के प्रयास के रूप में पेश किया गया है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रावधान में निर्धारित शर्तों में वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इस कारण से, जहां समाज एक केंद्रीय समाज है जो धारा 49-ई (2) की आवश्यकताओं को पूरा करता है, वहां धारा 54 (1) के तहत अपने सीईओ की नियुक्ति करने की सामान्य शक्ति निहित है। यह धारा 54 के तहत गठित और बनाए गए संवर्गों से नियुक्ति तक सीमित है। [पैरा 24] [328-एफ-जी]

4. धारा 54 की उप-धारा (3) राज्य को सशक्त बनाती है।

सरकार अधिसूचना द्वारा उन समितियों के वर्ग को निर्दिष्ट करेगी जो शीर्ष या केंद्रीय समितियों द्वारा बनाए गए संवर्गों के अधिकारियों को नियुक्त करेंगी जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया गया है। प्रावधान में कहा गया है कि

धारा 54 (1)। जहाँ समितियों के एक वर्ग को राज्य सरकार द्वारा गठित संवर्गों के अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए अधिसूचित किया गया है शीर्ष या केंद्रीय सोसायटी, नियुक्ति की शक्ति शीर्ष या केंद्रीय सोसायटी के पास निहित है, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया है। सोसाइटियों का अधिसूचित वर्ग स्वीकार करने के लिए बाध्य है और एम. डी. छत्तीसगढ़ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक मैरीडिट बनाम।

जिला सहकारी केंद्रिया बैंक मरियम

शीर्ष या केंद्रीय सोसायटी द्वारा कैडर पदों पर प्रतिनियुक्त कैडर अधिकारियों की नियुक्ति, जैसा भी मामला हो। [पैरा 25] [328-एच; 329-ए-सी] 5. 2016 के संशोधन अधिनियम के आधार पर 1960 के अधिनियम की धारा 54 (3) में खंड (ए) और (बी) को जोड़ा गया था। उपखंड (ए)

बैंक के योग्य अधिकारी। जबकि धारा 54 (3) समाजों के एक वर्ग से संबंधित है, खंड (ए) और (बी), जैसा कि 2016 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, केवल उनके अनुप्रयोग में विशिष्ट हैं सहकारी बैंक। इसके अलावा, जबकि धारा 54 (3) संवर्ग पदों पर प्रतिनियुक्त संवर्ग अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित है, खंड (ए) और (बी) केवल सहकारी बैंकों के सीईओ की नियुक्ति से संबंधित है। खंड (क) में विचार किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पात्रता दिशानिर्देश सहकारी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर आसीन अधिकारियों पर लागू होंगे। उल्लेखनीय रूप से, खंड

(ख) धारा 54 (3) के शब्दों के साथ "यदि संबंधित सहकारी बैंक नियुक्त करने में विफल रहता है" जो एक इरादे को दर्शाता है -

चूक की स्थिति में, सी. ई. ओ. बैंक का एक अधिकारी होगा न कि कैडर का एक अधिकारी जैसा कि धारा 54 (3) के तहत अधिसूचित किया गया है, विधायिका के निहित होने के इरादे को दर्शाता है। सहकारी बैंकों को अपने सी. ई. ओ. की नियुक्ति करने की शक्ति है। जाहिर है, 2016 के संशोधन अधिनियम के आधार पर, खंड (ए) और (बी) को सी. ई. ओ. की नियुक्ति के लिए विशिष्ट प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया था।

सहकारी बैंकों को नियुक्ति की शक्ति प्रदान करना। जहाँ संभावित परस्पर विरोधी प्रावधानों की दो व्याख्याएँ

यदि संभव हो, तो अदालतों को उस व्याख्या को अपनाना चाहिए जो विधायिका के इरादे को आगे बढ़ाती है जैसा कि उक्ति में निहित है। मामले के इस दृष्टिकोण में, 2016 के संशोधन अधिनियम की धारा 54 (3) और खंड (ए) और (बी) का सामंजस्यपूर्ण निर्माण [2020] 5 एस. सी. आर. की ओर ले जाता है।

यह निष्कर्ष निकालना कि खंड (क) और (ख) सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित विशेष प्रावधान हैं जो धारा 54 (3) के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति से अलग किए गए हैं। इस दृष्टिकोण को धारा 57-बी (19) को हटाने और धारा 54 (3) में खंड (ए) और (बी) को एक साथ शामिल करने से मजबूती मिलती है। [पारस 26,34,35,36] [329-डी-एफ; 335-सी-जी]

जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड v. उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1170: [1961] 3 एस. सी. आर. 185; वाणिज्यिक कर अधिकारी, राजस्थान बनाम। मेसर्स बिनानी सीमेंट्स लिमिटेड (2014) 8 एस. सी. सी. 319: [2014] 3 एस. सी. आर. 1; दक्षिण भारतीय निगम (पी) लिमिटेड बनाम। सचिव, राजस्व बोर्ड ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 207: [1964] 4 एस. सी. आर. 280; पारादीप पोर्ट ट्रस्ट बनाम। उनके कर्मचारी ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 36: [1977] 1 एस. सी. आर. 537; महाराष्ट्र राज्य बोर्ड

माध्यमिक और उच्च शिक्षा v. परितोष भुपेश कुमार सेठ (1984) 4 एस. सी. सी. 27; सी. सी. ई. बनाम जयंत ऑयल मिल्स (1989) 3 एससीसी 343: [1989] 2 एससीआर 291; पी. एस. सतप्पन बनाम। आंध्र बैंक लिमिटेड (2004) 11 एस. सी. सी. 672: [2004] 5 पूरक। एस. सी. आर. 188; सरबजीत रिक सिंह बनाम भारत संघ (2008)

2 एससीसी 417: [2007] 13 एससीआर 321; पंकजक्षी बनाम।

चंद्रिका (2016) 6 एससीसी 157: [2016] 3 एससीआर 1018 -

पर भरोसा किया।

7. धारा 54 की उप-धारा (2) और उप-धारा (3) दोनों ही प्रावधान केवल सहकारी बैंकों तक ही सीमित नहीं हैं। हालांकि,

उप-धारा (3) के खंड (ए) और (बी) विशेष रूप से सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित हैं। परिचय देते समय 2016 के संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 54 की उप-धारा (3) में खंड (ए) और (बी), फिर भी विधायिका ने बरकरार रखा है

धारा 49-ई के प्रावधान। धारा 49-ई (2) में कहा गया है कि सीईओ की नियुक्ति संवर्ग के अधिकारियों में से की जाएगी। धारा 54 के तहत बनाए रखा गया है, जहां इस तरह के संवर्ग का गठन किया गया है। धारा 49-ई शीर्ष और केंद्रीय समितियों को नियंत्रित करने वाला एक प्रावधान है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसमें निर्धारित प्रपत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। "केंद्रीय समाज" पद को एक सहकारी भूमि विकास बैंक या किसी अन्य समाज के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका संचालन राज्य के एक हिस्से तक सीमित है, जैसा कि धारा एम. डी. छत्तीसगढ़ राज्य सह-परिचालन बैंक वैवाहिक बनाम में पहले देखा गया है।

जिलाशेखरिया केंद्रिया बैंक मरियम

(2) (सी-आई)। धारा 49-ई में निहित प्रावधानों का उद्देश्य राज्य सरकार का विनियामक नियंत्रण लाना है -

धारा 54 के तहत बनाए गए संवर्ग के अधिकारियों में से मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की आवश्यकता होती है। उप-धारा (3) के खंड (ए) और (बी) के प्रावधान लाने वाले 2016 के संशोधन अधिनियम ने धारा 49-ई के संचालन को प्रभावित नहीं किया है। अतः अनुभाग द्वारा शासित केंद्रीय सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति

49 - ई (2) धारा 54 के तहत बनाए गए संवर्ग के अधिकारियों में से होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि धारा 49-ई की उप-धारा (2) में एक गैर-बाधा शर्त शामिल है। परिणामस्वरूप, 2016 के संशोधन अधिनियम के बावजूद, धारा 49-ई की उप-धारा (2) के विवरण के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को संवर्ग के अधिकारियों में से नियुक्त किया जाना है। धारा 54 के तहत, यदि ऐसा संवर्ग गठित किया गया है। [पैरा 38] [336-सी-जी]

8. धारा 49-ई (2) एक स्व-निहित प्रावधान नहीं है। धारा 49-ई (2) (बी) (आई) केवल यह निर्धारित करती है कि केंद्रीय सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो इसके दायरे में आते हैं, उनकी नियुक्ति निम्न में से की जाएगी - कैडर के अधिकारियों को धारा 54 के तहत रखा जाता है। इस प्रकार, जहां धारा 54 के तहत एक संवर्ग का गठन किया गया है, धारा 49-ई (2) के दायरे में आने वाली एक केंद्रीय सोसायटी ऐसे संवर्ग से अपने अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए बाध्य है। न तो धारा 49-ई और न ही धारा 54 (2) में यह निर्दिष्ट किया गया है कि क्या नियुक्ति एपेक्स सोसाइटी या केंद्रीय सोसायटी के कैडर से की जानी है जैसा कि धारा के तहत गठित किया गया है।

ऐसी समितियाँ जो संवर्गों के अधिकारियों को नियुक्त करती थीं शीर्ष या केंद्रीय समितियों द्वारा, धारा 54 (3) के तहत अधिसूचना राज्य सरकार के नियामक नियंत्रण को संचालित करती है।

धारा 49-ई (2) में विनिर्दिष्ट तरीके से परिकल्पना की गई है। [पैरा 39] [336-एच; 337-ए-सी] 9. यह कानून का तय सिद्धांत है कि जहां किसी अधिनियम के दो प्रावधान विरोधाभासी प्रतीत होते हैं, अदालतों को एक

व्याख्या जो दोनों प्रावधानों को यथासंभव सर्वोत्तम सीमा तक सुसंगत बनाती है। कानून के किसी भी शब्द या हिस्से का अर्थ [2020] 5 एस. सी. आर. में नहीं लगाया जा सकता है।

अलगाव। अदालतों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी व्याख्या से बचा जाना चाहिए जो किसी भी प्रावधान को अनुचित बनाती है जब तक कि संघर्ष से कोई संभावित सुलह नहीं हो जाता है। इस दृष्टिकोण से, इस न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न तो प्रावधान-धारा 49-ई (2) और न ही धारा 54 (3) (ए) और (बी) को कानून के एक मृत पत्र में बदल दिया जाए। यह नहीं कहा जा सकता है कि सहकारी बैंकों की नक्काशी के लिए

प्रदत्त सक्षम करने की शक्ति से उनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति धारा 54 (3) के तहत राज्य सरकार उन सहकारी बैंकों पर समान रूप से लागू होती है जो धारा 49-ई (2) के दायरे में केंद्रीय समितियां हैं। राज्य सरकार को धारा 54 (3) के तहत अधिसूचना जारी करने का अधिकार है।

सहकारी बैंक जो धारा 49-ई (2) के दायरे में आने वाली केंद्रीय समितियां हैं, यह निर्दिष्ट करते हुए कि सहकारी बैंक एपेक्स सोसाइटी द्वारा गठित संवर्ग से अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति करेगा। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि धारा 54 (3) के खंड (ए) और (बी) को प्रभावी बनाया गया है, अधिसूचित एपेक्स सोसाइटी संबंधित सहकारी बैंक को अधिकारियों का एक पैनल भेजेगी, जिसमें से वह अपने सीईओ की नियुक्ति करेगी, बशर्ते कि अधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो। इस दृष्टिकोण से, धारा 49-ई (2) में निर्दिष्ट तरीके से राज्य वित्त पोषण प्राप्त करने वाले सहकारी बैंकों पर राज्य सरकार का नियामक नियंत्रण बरकरार रखा गया है, जो प्रावधान के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है। [पारस 41,45,46] [337-जी-एच; 338-डी-ई; 341-ए-डी]

न्यायमूर्ति जी. पी. द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत सिंह; फ्रांसिस बेनियन द्वारा वैधानिक व्याख्या -

संदर्भित किया गया।

10. राज्य सरकार को एक जारी करने का अधिकार है

धारा 54 (3) के तहत उसे प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में अधिसूचना, जिसमें निर्दिष्ट किया गया है कि ऐसा सहकारी बैंक अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति एपेक्स सोसाइटी द्वारा बनाए गए संवर्ग से करेगा, जैसा कि उसमें अधिसूचित किया गया है। अधिसूचित शीर्ष समिति संबंधित सहकारी बैंक को अधिकारियों का एक पैनल भेजेगी, जिसमें से सहकारी बैंक अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति करेगा, बशर्ते कि ऐसे अधिकारी के पास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड हों; और जहां धारा 54 के तहत कोई संवर्ग गठित नहीं किया गया है, वहां सहकारी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति धारा 49 ई (2) के तहत एक केंद्रीय संस्था है, जिसे धारा 49-ई (2) (बी) (2) में निर्धारित पंजीयक के पूर्व अनुमोदन के साथ नियुक्त किया जाएगा।

[पैरा 47] [342-डी-एफ] एम. डी. छत्तीसगढ़ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक मैरीडिट बनाम। जिलाशेखरिया केंद्रिया बैंक मरियम

11. तत्काल मामले में, यह विवादित नहीं था कि पहला

प्रतिवादी धारा के दायरे में आने वाला एक केंद्रीय समाज है।

सहकारी बैंक अपनी उपलब्धता के अनुसार केवल राज्य सहकारी बैंक द्वारा बनाए गए संवर्गों से अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए बाध्य थे। इसी तरह की एक अधिसूचना 26 जून 1971 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार केंद्रीय सहकारी बैंकों को अधिकारियों के कैडर बनाए रखने की अनुमति दी गई थी और यह निर्धारित किया गया था कि बड़े आकार सहित ग्राम सहकारी समितियां कृषि ऋण समितियों को केवल केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा बनाए गए संवर्गों से लिए गए अधिकारियों को नियुक्त करना होगा। इसी तरह, 26 जून 1971 की एक अन्य अधिसूचना द्वारा, केंद्रीय सहकारी बैंकों को अधिकारियों के कैडर बनाए रखने का निर्देश दिया गया था

बड़े आकार की कृषि ऋण समितियों सहित ग्रामीण सहकारी समितियों में प्रबंधकों की नियुक्ति के लिए। सातवाँ प्रत्यर्थी अपीलार्थी द्वारा बनाए गए संवर्ग का अधिकारी नहीं है। नतीजतन, सातवें प्रतिवादी को सी. ई. ओ. के रूप में नियुक्त करने की मांग में पहले प्रतिवादी की कार्रवाई कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। सी. ई. ओ. के रूप में छठे प्रतिवादी की नियुक्ति को सोसायटी के पंजीयक द्वारा अनुमोदित किया गया था और पहले प्रतिवादी के बी. ओ. डी. द्वारा स्वीकार किया गया था। [पारस 48,49] [342-जी-एच;

343 - ए-सी]

कृष्ण कुमार बनाम। राजस्थान राज्य (1991) 4 एससीसी

258 : [1991] 3 एससीआर 500; ब्रिटिश एयरवेज पीएलसी बनाम।

भारत संघ (2002) 2 एससीसी 95: [2001] 5 पूरक। एससीआर

पर भरोसा किया।

152

मामला कानून संदर्भ

[1961] 3 एससीआर 185

उस पर भरोसा करें

पैरा

32

[2014] 3 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा

33

[1964] 4 एससीआर 280

उस पर भरोसा करें

पैरा

33

[1977] 1 एससीआर 537

उस पर भरोसा करें

पैरा

33

(1984) 4 एससीसी 27

उस पर भरोसा करें

पैरा

33

[1989] 2 एससीआर 291

उस पर भरोसा करें

पैरा

33 [2020] एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2004] 5 पूरक। एससीआर 188

उस पर भरोसा करें

पैरा

33

[2007] 13 एससीआर 321

उस पर भरोसा करें

पैरा

33

[2016] 3 एससीआर 1018

उस पर भरोसा करें

पैरा

33

[1991] 3 एससीआर 500

उस पर भरोसा करें

पैरा

42

[2001] 5 पूरक। एससीआर 152

उस पर भरोसा करें

पैरा

43

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1961

2020 से।

उच्च न्यायालय के 07.08.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 के डब्ल्यू. ए. No.96 में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का।

विक्रांत सिंह बैस, योगेश तिवारी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए। समीर श्रीवास्तव, दर्पण के. एम., D.K.Devesh, रोहित सिंह,

अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. यह अपील एक डिवीजन बेंच के फैसले से उत्पन्न हुई है

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय दिनांक 7 अगस्त 2018। लेटर पेटेंट अपील की अनुमति देते हुए, डिवीजन बेंच ने 19 जनवरी 2018 के एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर दिया। डिवीजन बेंच ने कहा कि

अपीलार्थी द्वारा 11 अगस्त 2017 को प्रथम प्रत्यर्थी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति और उसके बाद सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा इसका अनुसमर्थन कानून के अधिकार के बिना किया गया था। नतीजतन, अपीलार्थी का निर्णय पहले प्रत्यर्थी के लिए बाध्यकारी नहीं माना गया।

2. अपीलार्थी-छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक-है

छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारी बैंकों का शीर्ष निकाय। पहला प्रतिवादी एक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है जो छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 2 के प्रावधानों द्वारा शासित है।

3. प्रथम उत्तरदाता बैंक के सीईओ को 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।

2017 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत भ्रष्टाचार के आरोपों पर छत्तीसगढ़ राज्य की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा 3. 1 " सी. ई. ओ. "2" 1960 एक्ट "3" पी. सी. एक्ट "एम. डी. छत्तीसगढ़ स्टेट सीओओपी।

बैंक मैरीडिट बनाम। जिला सहकारी केंद्रिया बैंक मरियम [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

नामित अदालत के समक्ष पेश किए जाने पर, उन्हें हिरासत में भेज दिया गया और सीईओ के उनके कार्यालय से निलंबित कर दिया गया। 4. 10 अगस्त 2017 को, सातवें प्रतिवादी को पहले प्रतिवादी के अध्यक्ष द्वारा अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था।

4. निदेशक मंडल द्वारा औपचारिक निर्णय। 11 अगस्त 2017 को, अपीलार्थी ने छठे प्रतिवादी को, जो रायपुर में 'विशेष वर्ग प्रबंध निदेशक' के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, पहले प्रतिवादी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया। अपीलार्थी ने इस कार्रवाई को पहले के रूप में करने का इरादा किया

प्रत्यर्थी को एक अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया था और नियुक्त व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता था। अपीलार्थी ने 1960 के अधिनियम की धारा 54 (3) के संदर्भ में छठे प्रतिवादी को पहले प्रतिवादी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की अपनी कार्रवाई को भी उचित ठहराने की मांग की।

5. छठे उत्तरदाता को इस आधार पर पहले उत्तरदाता के सी. ई. ओ. के रूप में प्रभार नहीं दिया गया था कि बी. ओ. डी. की एक बैठक 16 अगस्त 2017 को बुलाई जानी थी। 16 अगस्त 2017 को, पहले प्रतिवादी के बी. ओ. डी. ने सातवें प्रतिवादी की नियुक्ति को मंजूरी दी, जो शुरू में अंतरिम सी. ई. ओ. के रूप में सेवारत थे। प्रथम प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की छत्तीसगढ़ ने 11 अगस्त 2017 के आदेश की वैधता को चुनौती दी, जिसके द्वारा अपीलार्थी ने छठे प्रतिवादी को सीईओ के रूप में नियुक्त किया था। अनिवार्य रूप से, प्रथम प्रत्यर्थी का मामला यह है कि इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति पूरी तरह से उसके विवेक के भीतर होती है और न तो अपीलार्थी को शीर्ष समिति के रूप में और न ही पंजीयक को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति होती है। प्रथम प्रत्यर्थी बैंक के बी. ओ. डी. ने 17 अगस्त 2017 को सहकारी समितियों के पंजीयक से उनकी नियुक्ति के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा।

सीईओ के रूप में छठा उत्तरदाता। 21 अगस्त 2017 को अपने संचार द्वारा, पंजीयक ने कहा कि छठे प्रतिवादी के अपीलार्थी द्वारा की गई नियुक्ति कानून के अनुसार थी और नियुक्ति के आदेश का पालन किया जाना चाहिए।

6. 25 अगस्त 2017 को, प्रथम प्रतिवादी के बी. ओ. डी. ने छठे प्रतिवादी की नियुक्ति को स्वीकार करने का संकल्प लिया और निर्देश दिया कि

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने 19 जनवरी 2018 के एक फैसले से रिट याचिका को खारिज कर दिया।

प्रथम प्रत्यर्थी का मानना है कि छठे प्रत्यर्थी की नियुक्ति

यह 1960 के अधिनियम की धारा 54 (3) के प्रावधानों के संदर्भ में था और कानूनी रूप से टिकाऊ था। एकल न्यायाधीश ने यह भी नोट किया कि नियुक्ति को सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा अनुमोदित किया गया था और नियुक्ति को पहले प्रतिवादी के बी. ओ. डी. की बैठक में भी स्वीकार कर लिया गया था।

8. विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित, प्रथम प्रतिवादी ने खंड पीठ के समक्ष एक रिट अपील दायर की, जो थी

7 अगस्त 2018 के विवादित आदेश द्वारा अनुमति दी गई। डिवीजन बेंच ने कहा कि धारा 54 (3) के संशोधित प्रावधानों के तहत, जो 14 दिसंबर 2016 से प्रभावी थे, अपीलार्थी की सीईओ की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं थी। डिवीजन बेंच के विचार में, एक सीईओ नियुक्त करने की शक्ति का प्रयोग केवल जिला केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा एक निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर नियुक्ति करने में विफलता पर ही पंजीयक द्वारा किया जा सकता है। डिवीजन बेंच ने अभिनिर्धारित किया कि यह धारा 54 (3) के खंड (बी) से आता है। डिवीजन बेंच का विचार था कि एक नियमित सी. ई. ओ. की नियुक्ति के लिए 16 अगस्त 2017 को बी. ओ. डी. की बैठक लंबित रहने तक, एक विज्ञापन-अंतरिम व्यवस्था करने में पहले प्रतिवादी की ओर से कोई विफलता नहीं थी। डिवीजन बेंच ने पाया

एक रिक्तता को भरने के लिए कदम रखने के लिए अपीलार्थी के साथ दोष जब कोई अस्तित्व में नहीं था। यह मानते हुए कि यह शीर्ष निकाय द्वारा शक्ति के दुरूपयोग का मामला था, खंड पीठ ने कहा कि सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा नियुक्ति का अनुसमर्थन कोई परिणाम नहीं था। विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को तदनुसार रद्द कर दिया गया था।

9. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर ध्यान देने से पहले, वर्तमान विवाद पर लागू होने वाले कानून के प्रासंगिक प्रावधानों का विज्ञापन करना आवश्यक है।

10. 1960 के अधिनियम की धारा 49-ई एक की नियुक्ति से संबंधित है

प्रबंध निदेशक और सी. ई. ओ., जैसा कि इसके सीमांत नोटों से पता चलता है, "कुछ परिस्थितियों में"। धारा 49-ई निम्नलिखित प्रावधान करती हैः

" 49 - ई. कुछ परिस्थितियों में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति।

(1) (क) इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या उपनियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जहां

7 2018 का लिखित अपील सं. 96 टिसगढ़ राज्य सीओओपी।

बैंक मैरीडिट बनाम। जिला सहकारी अंक मरियम [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

राज्य सरकार ने अपनी शेयर पूंजी में योगदान दिया है या ऋण या वित्तीय सहायता दी है या किसी अन्य रूप में दिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान की गारंटी दी है, एक प्रबंध निदेशक होगा, जो प्रथम श्रेणी के अधिकारी के पद से कम नहीं होगा, जिसका चयन राज्य स्तर पर गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें कृषि उत्पादन आयुक्त, शीर्ष सोसायटी के अध्यक्ष शामिल होंगे।

पंजीयक सहकारी समितियाँ और एक निदेशक बोर्ड ऑफ एपेक्स सोसाइटी द्वारा नामांकित "

बशर्ते कि यदि समिति प्रबंधकों का चयन करने में विफल रहती है

प्रबंध निदेशक पदेन सदस्य होगा समिति।

प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी होंगे।

सोसायटी के अधिकारी और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे और

ऐसी शक्तियों का प्रयोग करें जो निर्धारित की जाएं।

इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, या

समाज जहाँ राज्य सरकार ने अपनी शेयर पूंजी में योगदान दिया है या ऋण या वित्तीय सहायता दी है। या ऋणों, डिबेंचरों या अग्रिमों के पुनर्भुगतान की गारंटी दी है या किसी अन्य रूप में अनुदान दिया है, एक प्रबंध निदेशक या एक महाप्रबंधक होगा जो नीचे नहीं होगा

द्वितीय श्रेणी के अधिकारी का पद जो प्रमुख होगा

सोसायटी के कार्यकारी अधिकारी और पदेन सदस्य

समिति के बारे में: मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी:

धारा 54 के तहत रखे गए संवर्ग के अधिकारियों में से यदि ऐसा संवर्ग बनाया गया है; (ii) अन्य संवर्गों में

पंजीयक के पूर्व अनुमोदन के साथ मामले।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे।

और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करें जो निर्धारित की जाएं।

5 - धारा 49-ई की धारा (1) एपेक्स सोसायटी के निदेशक और सी. ई. ओ. की नियुक्ति से संबंधित है। अभिव्यक्ति

'y' को धारा 2 (a-i) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है [2020] 5 एस. सी. आर.

" एक समाज जिसका प्रमुख उद्देश्य सुविधाओं को प्रदान करना है

इससे संबद्ध अन्य समितियों का संचालन और जिनके क्षेत्र ऑपरेशन पूरे राज्य में फैला हुआ है।

उप-धारा (2) एक प्रबंध निदेशक या एक महाप्रबंधक की नियुक्ति से संबंधित है जो एक केंद्रीय सोसायटी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। द.

धारा 2 (सी-आई) में अभिव्यक्ति 'केंद्रीय समाज' को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

" " " " केंद्रीय सोसायटी "से कोई सहकारी भूमि विकास बैंक या कोई अन्य सोसाइटी अभिप्रेत है जिसका संचालन क्षेत्र राज्य के किसी हिस्से तक सीमित है और जिसका प्रमुख उद्देश्य प्रमुख उद्देश्यों को बढ़ावा देना और उसी प्रकार की सोसाइटियों और उससे संबद्ध अन्य सोसाइटियों के संचालन के लिए सुविधाओं का प्रावधान करना है और

जिनमें से कम से कम पाँच सदस्य समितियाँ हैं।

12. उप-धारा (1) शीर्ष सोसाइटी पर लागू होती है जबकि उप-धारा (2) केंद्रीय सोसाइटी पर लागू होती है। उप-धारा (2), जिसके साथ हम हैं

के पास हैः (i) शेयर पूंजी का योगदान किया; या (ii) स्वीकृत ऋण या वित्तीय सहायता; या (iii) ऋणों, डिबेंचरों के पुनर्भुगतान की गारंटी, या अग्रिम; या (iv) किसी अन्य रूप में दिए गए अनुदान। उप-धारा (2) (बी) में प्रावधान है कि प्रत्येक केंद्रीय सोसायटी के सी. ई. ओ. की नियुक्ति

धारा 54 के तहत बनाए गए संवर्ग के अधिकारियों के बीच, यदि ऐसा संवर्ग बनाया गया है और अन्य मामलों में, के पूर्व अनुमोदन के साथ

पंजीयक।

13. धारा 49-ई (2) (बी) (आई) धारा 54 के तहत रखे गए अधिकारियों के संवर्ग को संदर्भित करती है। धारा 54 निम्नलिखित शब्दों में हैः

" 54. प्रबंधकों, सचिवों और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति। (1) कोई भी सोसायटी प्रबंधक, सचिव, लेखाकार या अन्य वेतनभोगी अधिकारी की नियुक्ति तब तक नहीं करेगी जब तक कि उसके पास ऐसी योग्यता न हो जो हो सके -

निर्धारित किया गया।

(2) शीर्ष और केंद्रीय समितियाँ अधिकारियों और अन्य सेवकों के ऐसे संवर्गों को बनाए रखेंगी जो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, ऐसे संवर्ग के सदस्यों की प्रत्यक्ष और सेवा की शर्तें

ऐसा होगा जो पंजीयक आदेश द्वारा निर्धारित करे।

(3) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा समितियों के उन वर्गों को निर्दिष्ट कर सकती है जो ऐसे संवर्गों के अधिकारियों को नियुक्त करेंगे।

उप-धारा के तहत शीर्ष या केंद्रीय समितियों द्वारा अनुरक्षित

(2) जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए और समाजों के ऐसे वर्ग की ओर से ऐसे संवर्ग एम. डी. छत्तीसगढ़ राज्य सीओपी को स्वीकार करना और नियुक्त करना अनिवार्य होगा।

बैंक मैरीडिट बनाम। जिला सहकारी केंद्रिया बैंक मरियम [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

केंद्रीय समितियाँ "।

धारा 54 की उप-धारा (1) में यह प्रावधान है कि कोई संस्था

प्रबंधक, सचिव, लेखाकार या अन्य वेतनभोगी अधिकारी की नियुक्ति तब तक करें जब तक कि व्यक्ति के पास ऐसी योग्यता न हो जो निर्धारित की गई हो। उप-धारा (2) के तहत, शीर्ष और केंद्रीय समितियों को अधिकारियों और अन्य सेवकों के ऐसे संवर्ग बनाए रखने होते हैं जिन्हें राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देशित करे। उप-धारा (3) के तहत, राज्य सरकार को समितियों के उन वर्गों को निर्दिष्ट करते हुए एक अधिसूचना जारी करने का अधिकार है जो समितियों के अधिकारियों को नियुक्त करेंगे।

शीर्ष या केंद्रीय समितियों द्वारा बनाए गए संवर्ग। उप-धारा (3) सोसाइटियों के ऐसे वर्ग के लिए यह भी अनिवार्य बनाती है कि जब भी वे शीर्ष या केंद्रीय सोसाइटियों द्वारा प्रतिनियुक्त किए जाते हैं तो कैडर पदों पर कैडर अधिकारियों को स्वीकार और नियुक्त करें।

14. धारा की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए

54 , मध्य प्रदेश राज्य द्वारा (इसके पुनर्गठन से पहले) 12 जनवरी 1971 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। अधिसूचना नीचे निकाली गई है:

" अधिसूचना संख्या 258-413-पंद्रह-1.71 दिनांकित 12.01.1971

मध्य की धारा 54 की उप-धारा 3 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके

प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 (1961 का सं. 17)

राज्य सरकार। इस अधिसूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि सहकारी नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित समितियाँ

शीर्ष द्वारा गठित संवर्ग से अधिकारियों की नियुक्ति

अनुसूची के कॉलम 2 में उल्लिखित सहकारी समिति

नीचे उनकी उपलब्धता के अनुसार उनके सामने।

अनुसूची

सहकारी का नाम

एपेक्स का नाम

$ 1 .

सहकारी समिति

नहीं।

समाज

(1)

(2)

(3)

एम. पी. राज्य सहकारी

केंद्रीय सहकारी बैंक

1

बैंक लिमिटेड

मध्य प्रदेश राज्य

प्राथमिक सहकारी भूमि

2

विकास बैंक

भूमि विकास बैंक

मध्य प्रदेश राज्य

3

प्राथमिक सहकारी

विपणन समितियाँ और

सहकारी विपणन

प्रक्रिया समिति

संघ

(एम. पी. के राजपत्र के भाग-1 में प्रकाशित दिनांक 19.02.1971) "[2020] 5 एस. सी. आर.

15. उपरोक्त अधिसूचना के संदर्भ में, यह निर्धारित किया गया था कि अनुसूची के कॉलम (3) में निर्दिष्ट एक सहकारी समिति नियुक्त करेगी।

शीर्ष सहकारी समितियों द्वारा गठित संवर्ग के अधिकारी अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित। अनुसूची में पहली प्रविष्टि मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को शीर्ष सहकारी समिति और केंद्रीय सहकारी बैंक के रूप में निर्दिष्ट करती है

सहकारी समिति। दूसरे शब्दों में, केंद्रीय सहकारी बैंक को राज्य द्वारा गठित संवर्ग से अधिकारियों की नियुक्ति करने की आवश्यकता होती है सहकारी बैंक। यह अधिसूचना, विवाद में नहीं है, छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू होती है।

16. धारा 54 (3) के प्रावधानों को छत्तीसगढ़ सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम 2016 द्वारा संशोधित किया गया था।

14 दिसंबर 2016 से। धारा 54 (3) के अंत में निम्नलिखित प्रावधान जोड़े गए थेः

" (क) किसी भी सहकारी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद धारण करने के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार होंगे -

इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित।

(ख) यदि संबंधित सहकारी बैंक एक निर्दिष्ट मानदंड के भीतर पात्रता मानदंडों के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति करने में विफल रहता है। अवधि, ऐसी स्थिति में पंजीयक ऐसे पात्र को नियुक्त कर सकता है

बैंक का अधिकारी "।

17. वर्तमान विवाद के सम्मिलन के कारण हुआ है

2016 के संशोधन अधिनियम के आधार पर 1960 के अधिनियम की धारा 54 (3) में खंड (ए) और (बी)।

18. अपीलार्थी ने निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया हैः

(i) प्रथम प्रत्यर्थी (जो एक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है) का सी. ई. ओ. एक वेतनभोगी अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति धारा 54 (1) द्वारा विनियमित होती है, जो केवल उन व्यक्तियों की नियुक्ति को अनिवार्य करता है जिनके पास निर्धारित योग्यता होती है। प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा की गई नियुक्ति एक ऐसे व्यक्ति की थी जो निर्धारित योग्यताओं को पूरा नहीं करता था;

((ii) धारा 54 (2) प्रथम अपीलार्थी को अधिकारियों के संवर्ग को बनाए रखने का आदेश देती है जैसा कि राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है। धारा 54 (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने 12 जनवरी 1971 को एक अधिसूचना जारी की।

8 " 2016 संशोधन अधिनियम "अतिसगढ़ राज्य सीओओपी।

बैंक मैरीडिट बनाम। जिला सहकारी ए बैंक मैरीडिट [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि केंद्रीय सहकारी बैंक को राज्य सहकारी बैंक द्वारा गठित संवर्ग से अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। धारा 54 (3) के आधार पर और 12 जनवरी 1971 की अधिसूचना, प्रथम प्रतिवादी (जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के रूप में) स्वीकार करने के लिए बाध्य है और

अपीलार्थी (शीर्ष समिति के रूप में) द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी को सी. ई. ओ. के रूप में नियुक्त करें। वर्तमान मामले में, जिस व्यक्ति को पहले प्रतिवादी द्वारा नियुक्त किया गया था, उसने पूरा नहीं किया निर्धारित पात्रता मानदंड। इसलिए, छठी प्रत्यर्थी को उस नियुक्ति के लिए धारा 54 (3) के तहत अपीलार्थी के अधिकार का प्रयोग करते हुए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था।

धारा 54 (3) के अनुसार, 26 जून 1971 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके तहत राज्य के सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों को उन अधिकारियों के कैडर बनाए रखने की अनुमति दी गई थी, जिनसे ग्राम सहकारी समितियों में नियुक्तियां होती हैं।

बड़े आकार की कृषि ऋण समितियों सहित बनाया गया। 26 जून 1971 की एक अन्य अधिसूचना द्वारा भी धारा 54 (3) के तहत केंद्रीय सहकारी बैंकों को उन कर्मचारियों के संवर्ग को बनाए रखने की अनुमति दी गई थी जिनसे ग्रामीण सहकारी समितियों के लिए प्रबंधकों की नियुक्ति की जाएगी। इस प्रकार, छत्तीसगढ़ राज्य के सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों को उपरोक्त के संदर्भ में कर्मचारियों का एक संवर्ग बनाए रखना होगा।

26 जून 1971 की अधिसूचना और बड़े आकार की कृषि ऋण समितियों सहित सभी ग्राम सहकारी समितियां केवल उक्त संवर्गों के अधिकारियों को नियुक्त करेंगी।

धारा 49-ई की उप-धारा (2) विशेष रूप से प्रबंध निदेशक या एक महाप्रबंधक की नियुक्ति से संबंधित है जो केंद्रीय समितियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे जिनके लिए राज्य सरकार ने शेयर पूंजी का योगदान दिया है।

प्रदत्त ऋण या वित्तीय सहायता या कोई अन्य अनुदान। उप-धारा (2) के उप-खंड (बी) (आई) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सी. ई. ओ. की नियुक्ति अधिकारियों में से की जाएगी।

धारा 54 के तहत गठित संवर्ग; केंद्रीय सहकारी बैंक कर्मचारी सेवा नियम 1982 के नियम 3 में कहा गया है कि श्रेणी-1 पदों के रूप में वर्गीकृत सभी पदों पर नियुक्तियां एपेक्स बैंक द्वारा उसके द्वारा बनाए गए संवर्ग अधिकारियों की सूची से की जाएंगी। प्रथम प्रत्यर्थी के अलविदा कानून में प्रबंधकीय [2020] 5 एस. सी. आर. के पद पर नियुक्तियों को निर्धारित किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 54 (3) में संशोधन करने वाले 2016 के संशोधन अधिनियम को अन्य प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए न कि स्वतंत्र रूप से। उप-धारा (3) में संशोधन केवल पात्रता मानदंडों से संबंधित है और एपेक्स सोसायटी दोनों पर समान रूप से लागू होता है। और किसी भी केंद्रीय समाज के लिए। अपीलार्थी और प्रथम प्रतिवादी दोनों ही सहकारी बैंक हैं। अपीलार्थी एक शीर्ष सोसायटी है जबकि पहला प्रतिवादी एक केंद्रीय सोसायटी है।

धारा 54 की उप-धारा (2) के तहत, शीर्ष समितियों और केंद्रीय समितियों दोनों को अधिकारियों और अन्य सेवकों के कैडर बनाए रखने होते हैं, जैसा कि राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है। उप-धारा (3) प्रथम प्रत्यर्थी (जो एक केंद्रीय सोसायटी है) के लिए यह अनिवार्य बनाती है कि वह अपीलार्थी (जो शीर्ष सोसायटी है) द्वारा प्रतिनियुक्त किए जाने पर कैडर पद पर एक कैडर अधिकारी को स्वीकार और नियुक्त करे। यह केवल तभी होता है जब सी. ई. ओ. को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर नियुक्त नहीं किया जाता है, तो पंजीयक को सी. ई. ओ. के रूप में एक योग्य अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार होता है। वर्तमान मामले में, प्रथम प्रतिवादी के पूर्व सीईओ को पीसी अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। प्रथम प्रत्यर्थी के अध्यक्ष ने एक प्रबंधक को अंतरिम सी. ई. ओ. के रूप में नियुक्त किया, जो एपेक्स बैंक द्वारा बनाए गए अधिकारियों के कैडर से नहीं था। इसलिए, अपीलार्थी ने 12 जनवरी 1971 की अधिसूचना के साथ पठित धारा 54 (3) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 11 अगस्त 2017 को छठे प्रत्यर्थी को पहले प्रत्यर्थी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया, जिसे पहली प्रत्यर्थी स्वीकार करने के लिए बाध्य थी।

प्रथम प्रत्यर्थी के बी. ओ. डी. द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पर, सहकारी समितियों के पंजीयक ने 21 अगस्त 2017 को अपने जवाब में कहा कि अपीलार्थी द्वारा की गई नियुक्ति कानून के अनुसार थी। नतीजतन, बोर्ड ने 25 अगस्त 2017 को एक बैठक में छठे प्रतिवादी की नियुक्ति को स्वीकार कर लिया। छठे प्रतिवादी को सी. ई. ओ. के रूप में प्रतिनियुक्त करने के आदेश को पंजीयक द्वारा अनुमोदित किया गया था और पहले प्रतिवादी के बी. ओ. डी. और अतिसगढ़ राज्य सीओ. ओ. पी. द्वारा स्वीकार किया गया था।

बैंक मैरीडिट बनाम। जिला सहकारी ए बैंक मैरीडिट [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।]

विद्वान एकल न्यायाधीश ने पहले प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया। डिवीजन बेंच ने लागू कानूनी व्यवस्था की गलत सराहना पर रिट अपील की अनुमति दी। छत्तीसगढ़ में सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों के मामले में, सी. ई. ओ. कैडर से लिया गया एक अधिकारी होता है।

एपेक्स बैंक द्वारा अनुरक्षित। यह इसके अनुरूप है

1960 के अधिनियम की धारा 49-ई और 54 (3) और समय-समय पर जारी अधिसूचनाएँ। विवादित निर्णय का परिणाम एपेक्स बैंक को उसके अधिकार से वंचित करना होगा

वित्तीय नियंत्रण को शक्ति के माध्यम से बनाए रखा जा सकता है सी. ई. ओ. नियुक्त करें। इस तरह की स्थिति को बहुत बड़ा माना जाता था

सार्वजनिक धन की राशि दांव पर है। डिवीजन बेंच के विचार के सहकारी व्यवस्था में दूरगामी परिणाम होंगे और कानून के लाभकारी उद्देश्य को विफल कर दिया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप कुप्रबंधन और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग होगा।

दूसरी ओर, एन. डी. एन. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने आग्रह किया किः

छत्तीसगढ़ सहकारी समितियाँ (संशोधन) अधिनियम 2012 ओ। धारा 57-बी की उप-धारा (19) में प्रावधान है कि राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी

बैंकों की नियुक्ति, यथास्थिति, राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक के बोर्ड के सदस्यों द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद धारण करने के लिए पात्र तीन व्यक्तियों के नामों के पैनल में से की जाएगी। उपरोक्त पैनल की सिफारिश एक चयन बोर्ड द्वारा की जानी थी जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, जिनमें से सभी राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक के बोर्ड के सदस्य होंगे, जो भी मामला हो सकता हैः

बोर्ड में राज्य सरकार का नामित व्यक्ति;

ख) बोर्ड में राष्ट्रीय बैंक का नामित व्यक्ति; और

ग) बोर्ड का एक अन्य सदस्य, चाहे वह निर्वाचित हो या सह-निर्वाचित।

"[2020] 5 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

1960 के अधिनियम की धारा 57-बी को 2016 द्वारा हटा दिया गया था।

संशोधन अधिनियम और खंड (ए) और (बी) को 1960 के अधिनियम की धारा 54 की उप-धारा (3) में जोड़ा गया था, जिसके तहत सहकारी बैंक को नियुक्त करने की शक्ति दी गई थी

सी. ई. ओ. एक निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर और चूक में, पंजीयक को ऐसे पात्र को नियुक्त करने का अधिकार है। सीईओ के रूप में बैंक का अधिकारी;

1960 के अधिनियम की भाषा इंगित करती है कि के सीईओ

तथ्य यह है कि उक्त शक्ति पहले 1960 के अधिनियम की धारा 57-बी के तहत दी गई थी, लेकिन 2016 के संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 57-बी को हटा दिया गया था और नियुक्ति का प्रावधान था धारा 54 (3) (बी) में जोड़ा गया था;

एक प्रबंधक, सचिव, लेखाकार और अन्य वेतनभोगी अधिकारी की नियुक्ति करेगा जब तक कि उसके पास ऐसी योग्यता न हो जो हो सके निर्धारित "। उपखंड में उल्लिखित शब्द "समाज"

2016 का संशोधन अधिनियम। उक्त अधिसूचना की चूक को देखते हुए सीईओ की नियुक्ति में लागू नहीं होती है 1960 के अधिनियम की धारा 57-बी और उसके बाद एम. डी. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ को शामिल किया गया।

बैंक मैरीडिट बनाम। जिला सहकारी केंद्रिया बैंक मरियम [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

धारा 54 (3) (ए) और (बी)। 1960 के अधिनियम में इसका उल्लेख नहीं है।

कि केंद्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे

राज्य सहकारी बैंक द्वारा संवर्ग से नियुक्त

राज्य सहकारी बैंक के अधिकारी। कानून में जो प्रावधान नहीं है, उसे उसमें नहीं पढ़ा जा सकता है। यह तब अधिक होता है जब धारा 54 (3) (बी) की भाषा स्पष्ट, स्पष्ट और स्पष्ट होती है कि सहकारी समिति सीईओ;

यह तय कानून है कि यदि क़ानून की भाषा स्पष्ट है,

(vi)

स्पष्ट और असंदिग्ध और केवल एक ही अर्थ को स्वीकार करते हुए,

तब व्याख्या का कोई सवाल ही नहीं उठता। अपीलार्थी

इसे बनाने के लिए क़ानून में शब्द जोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

इसके लिए व्यवहार्य; और

(vii) राज्य सहकारी बैंक की नियुक्ति में कार्रवाई

केंद्रीय सहकारी बैंक का सी. ई. ओ. मनमाना और अवैध है क्योंकि यह राज्य सहकारी बैंक की शक्तियों से परे है। 1960 के अधिनियम के तहत।

20. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ अब विचार के लिए आती हैं।

21. धारा 54 में प्रबंधकों, सचिवों और समितियों के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के प्रावधान हैं। उप-धारा (1) में कहा गया है कि

कि एक प्रबंधक, सचिव, लेखाकार या अन्य वेतनभोगी अधिकारी होगा उनकी नियुक्ति केवल तभी की जाती है जब उनके पास निर्धारित योग्यताएँ हों। उप-खंड को पढ़ने से पता चलता है कि नियुक्तियाँ करने की शक्ति समाज के पास ही निहित है।

22. धारा 54 की उप-धारा (2) शीर्ष पर एक दायित्व डालती है।

और केंद्रीय समितियों को राज्य के रूप में अधिकारियों के ऐसे संवर्ग को बनाए रखने के लिए

सरकार आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है। पंजीयक को इस प्रकार गठित संवर्ग के सदस्यों की सेवा की शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार है।

23. 1960 के अधिनियम की धारा 49-ई विशेष रूप से

में प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति

कुछ परिस्थितियाँ। यह प्रावधान केवल प्रबंध निदेशक और सी. ई. ओ. की नियुक्ति से संबंधित है। इसमें "कुछ परिस्थितियों में" नियुक्तियां शामिल हैं, जो उसमें निर्दिष्ट हैं। धारा 49-ई की उप-धारा (1) एपेक्स सोसायटी के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति से संबंधित है। उप-धारा (2) केंद्रीय समितियों के प्रबंध निदेशक (जो सी. ई. ओ. होंगे) की नियुक्ति से संबंधित है। धारा 49-ई ऐसी स्थिति पर लागू होती है जहाँ राज्य सरकार के पास हैः

((ख) ऋण या वित्तीय सहायता दी गई हो; या ((ग) ऋणों, ऋणपत्रों या अग्रिमों के पुनर्भुगतान की गारंटी;

या

((iv) किसी अन्य रूप में अनुदान दिया जाता है।

धारा 54 (1)। उप-धारा (2) (ए) में कहा गया है कि प्रत्येक केंद्रीय सोसायटी के लिए एक प्रबंध निदेशक होगा जो वर्ग-II के पद से कम नहीं होगा। अधिकारी, जो सोसायटी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। धारा (2) के खंड (बी) में निर्धारित किया गया है कि सी. ई. ओ. की नियुक्ति धारा 54 के तहत बनाए गए संवर्ग के अधिकारियों में से की जाएगी, यदि ऐसा संवर्ग गठित किया गया है और अन्य सभी मामलों में, संवर्ग के पंजीयक के पूर्व अनुमोदन के साथ।

सहकारी समितियाँ। इस प्रकार, केंद्रीय समितियों के लिए जो इसके अंतर्गत आती हैं

धारा 49-ई (2) के दायरे में, प्रबंध निदेशक या महाप्रबंधक (जो सी. ई. ओ. होगा) की नियुक्ति का स्रोत धारा 54 के तहत गठित संवर्ग से लिए गए अधिकारियों में से होना चाहिए, यदि ऐसा संवर्ग गठित किया गया है। अन्य सभी मामलों में, केंद्रीय सोसायटी कर सकती है

सहकारी समितियों के पंजीयक के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध निदेशक या महाप्रबंधक की नियुक्ति करें।

24. केंद्रीय सोसायटी को धारा 49-ई (2) के दायरे में लाने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता यह है कि राज्य सरकार ने अपनी शेयर पूंजी में योगदान दिया है, ऋण या वित्तीय सहायता दी है, ऋण, डिबेंचर या अग्रिमों के पुनर्भुगतान की गारंटी दी है या किसी अन्य रूप में अनुदान दिया है। जाहिर है, यह प्रावधान विधायिका द्वारा केंद्रीय समितियों पर नियामक नियंत्रण बनाए रखने के प्रयास के रूप में पेश किया गया है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रावधान में निर्धारित शर्तों में वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इस कारण से, जहां समाज एक केंद्रीय समाज है जो धारा 49-ई (2) की आवश्यकताओं को पूरा करता है, वहां धारा 54 (1) के तहत अपने सीईओ की नियुक्ति करने की सामान्य शक्ति निहित है - धारा 54 के तहत गठित और बनाए गए संवर्गों से नियुक्ति तक सीमित।

25. धारा 54 की उप-धारा (3) राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा उन समितियों के वर्ग को निर्दिष्ट करने का अधिकार देती है जो एम. डी. छत्तीसगढ़ राज्य सीओपी अधिकारियों को नियुक्त करेंगी।

बैंक मैरीडिट बनाम। जिला सहकारी केंद्रिया बैंक मरियम [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

शीर्ष या केंद्रीय समितियों द्वारा बनाए गए संवर्गों से, जैसा कि उनमें निर्दिष्ट किया गया है। प्रावधान में कहा गया है कि ऐसी अधिसूचना जारी होने पर, उसमें अधिसूचित समितियों के वर्ग के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे शीर्ष या केंद्रीय समिति द्वारा नियुक्त किए जाने पर कैडर पदों पर ऐसे कैडर अधिकारियों को स्वीकार करें और नियुक्त करें। धारा 54 (3) के तहत अधिसूचना जारी होने पर, धारा 54 (1) के तहत समितियों के अधिसूचित वर्ग को प्रदान की गई नियुक्ति की शक्ति के लिए एक अपवाद बनाया जाता है। जहां समितियों के एक वर्ग को राज्य सरकार द्वारा शीर्ष या केंद्रीय सोसायटी द्वारा गठित संवर्गों के अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए अधिसूचित किया गया है, वहां नियुक्ति की शक्ति शीर्ष या केंद्रीय सोसायटी के पास निहित है, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया है। समाजों का अधिसूचित वर्ग है -

शीर्ष या केंद्रीय सोसायटी, जैसा भी मामला हो, द्वारा संवर्ग पदों पर प्रतिनियुक्त संवर्ग अधिकारियों को स्वीकार करने और नियुक्त करने के दायित्व के तहत। 26. वर्तमान विवाद 2016 के संशोधन अधिनियम के आधार पर उत्पन्न हुआ है जिसने 1960 के अधिनियम की धारा 54 (3) में खंड (ए) और (बी) को जोड़ा था। उप-धारा (3) के खंड (ए) में निर्धारित किया गया है कि सहकारी बैंक के सीईओ के पद के लिए पात्रता मानदंड वे हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

इस संबंध में। खंड (बी) में कहा गया है कि यदि संबंधित सहकारी बैंक एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर पात्रता मानदंडों के तहत सीईओ की नियुक्ति करने में विफल रहता है, तो पंजीयक बैंक के एक योग्य अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। प्रथम प्रत्यर्थी का प्रस्तुतिकरण, जिसे स्वीकृति मिल गई है उच्च न्यायालय की खंड पीठ का कहना है कि 2016 में किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप, सहकारी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का विशेष अधिकार क्षेत्र बैंक के पास ही निहित है। हालाँकि, प्रस्तुतिकरण के अनुसार, सी. ई. ओ. को आर. बी. आई. द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। इसके अलावा, यह केवल तभी होता है जब सहकारी बैंक एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर एक योग्य सीईओ की नियुक्ति करने में विफल रहता है, तो धारा 54 (3) का खंड (बी) सहकारी समितियों के पंजीयक को बैंक के एक योग्य अधिकारी की नियुक्ति करने का अधिकार देता है।

27. प्रथम प्रत्यर्थी के प्रस्तुत करने में, खंड (ए) और (बी) सहकारी बैंकों के लिए अधिनियमित विशेष प्रावधान हैं और इनका उद्देश्य है

इन पर एक प्रबल प्रभाव डालने के लिए: (i) धारा 54 (3) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति; और (ii) धारा 49-E (2) जो यह अनिवार्य करती है कि केंद्रीय समितियां धारा 54 के तहत गठित संवर्ग से अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति करेंगी। खंड (ए)

यह तर्क दिया गया था कि धारा 54 (3) और (बी) के तहत सहकारी बैंकों को अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति करने की पूर्ण शक्ति निहित है। 1960 के अधिनियम में प्रावधान। संशोधित प्रावधान का प्रभाव [2020] 5 एस. सी. आर. हो सकता है।

दो भागों में विचार किया गयाः पहला, प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में अधिसूचना जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति पर इसका प्रभाव। धारा 54 (3) के तहत उस पर; और दूसरा, धारा 49-ई (2) पर इसका प्रभाव।

28. 2012 के संशोधन अधिनियम के आधार पर, धारा 57-बी को एक नए अध्याय 5-ए के रूप में अल्पकालिक सह-प्रावधानों के साथ पेश किया गया था। परिचालन ऋण संरचना समितियाँ। 'अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना समितियाँ' शब्द को "राज्य सहकारी बैंक, एक केंद्रीय सहकारी बैंक और एक प्राथमिक कृषि बैंक" के रूप में परिभाषित किया गया था।

क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी "। धारा 57-बी (19) में यह निर्धारित किया गया है कि राज्य सहकारी बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एक केंद्रीय सहकारी बैंक

परिचालन बैंक की नियुक्ति बोर्ड के सदस्यों द्वारा की जाएगी राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक, जैसा भी मामला हो। यह नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार पद धारण करने के योग्य नामों के एक पैनल से की जानी थी। चयन बोर्ड का गठन भी उप-धारा (19) में निर्धारित किया गया था। इस प्रावधान के आधार पर, केंद्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए एक अपवाद बनाया गया था, जो उसमें निर्धारित शर्तों के अधीन था।

29. 2016 के संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 57-बी को हटा दिया गया था और धारा 54 (3) में खंड (ए) और (बी) को जोड़ा गया था। उल्लेखनीय है कि धारा 54 की उप-धारा (3) केवल सहकारी बैंकों तक ही सीमित नहीं है।

धारा 54 (3) राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा उन समितियों के वर्ग को निर्दिष्ट करने का अधिकार देती है जो शीर्ष या केंद्रीय समितियों द्वारा बनाए गए संवर्गों के अधिकारियों को नियुक्त करेंगी। धारा 54 (3) में नियोजित 'समाजों का वर्ग' शब्द में सहकारी बैंकों (संसाधन समितियों के रूप में) सहित 1960 के अधिनियम के प्रावधानों द्वारा कवर किए गए किसी भी प्रकार के समाज को शामिल किया गया है। इस दृष्टिकोण को 1960 के अधिनियम की धारा 10 द्वारा मजबूत किया गया है जो यह आदेश देता है कि सहकारी समितियों का पंजीयक सभी समितियों को निम्नलिखित में से एक या अधिक शीर्षों के तहत वर्गीकृत करेगाः

((i) उपभोक्ता समाज;

((ख) कृषि समाज;

((ग) आवास सोसायटी;

(v) बहुउद्देशीय समाज;

(vi) प्रोड्यूसर्स सोसाइटी; एम. डी. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी समिति। बैंक मैरीडिट बनाम। जिला सहकारी केंद्रिया बैंक मरियम [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

((ix) सामान्य समाज; और

(x) औद्योगिक समाज।

धारा 10 पंजीयक को उपरोक्त किसी भी वर्गीकरण के तहत आने वाली समितियों को और अधिक वर्गीकृत करने का अधिकार देती हैः

((ख) केंद्रीय सोसायटी; और

((iii) प्राथमिक समाज।

30. 1960 का अधिनियम अपने दायरे में असंख्य समाजों को शामिल करता है। यद्यपि 'समाजों का वर्ग' शब्द इसके दायरे में सहकारी बैंकों को शामिल करता है, प्रथम प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि धारा 54 (3) के खंड (ए) और (बी) का उद्देश्य राज्य सरकार को प्रदान की गई सक्षम शक्ति से सहकारी बैंकों को अलग करना था।

और उन्हें अपने सी. ई. ओ. नियुक्त करने की विशेष शक्ति प्रदान करें। यह आग्रह किया गया था कि यदि यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि धारा 54 (3) के तहत एक अधिसूचित सोसायटी के रूप में एक सहकारी बैंक पर शीर्ष या केंद्रीय सोसायटी से एक प्रतिनियुक्त संवर्ग अधिकारी को इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में स्वीकार करने का दायित्व है, तो खंड (ए) और (बी) को अनुचित माना जाएगा।

31. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि जहां किसी अधिनियम के दो प्रावधान विरोधाभासी प्रतीत होते हैं, अदालतों को एक व्याख्या अपनानी चाहिए जो

दोनों प्रावधानों में यथासंभव सामंजस्य स्थापित करता है। न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह ने अपने मौलिक कार्य 'सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत' में कहा हैः

" सामंजस्य स्थापित करने का अर्थ विनाश करना नहीं है। ऐसे सभी मामलों में एक परिचित दृष्टिकोण यह पता लगाना है कि दोनों में से कौन सा स्पष्ट रूप से परस्पर विरोधी है।

अधिक सामान्य प्रावधान और जो अधिक विशिष्ट है और

अधिक सामान्य का अर्थ अधिक को बाहर करने के रूप में निकालें

विशिष्ट। सिद्धांत को मैक्सिम जनरलिया में व्यक्त किया गया है।

स्पेसीलीबस गैर अपमानजनक और जनरलीबस स्पेसीलिया "।

इसी तरह, क़ानून में क्रेज़ कहता हैः " नियम यह है कि जब भी एक ही क़ानून में कोई विशेष अधिनियम और एक सामान्य अधिनियम होता है, और बाद वाला, अपने सबसे व्यापक अर्थों में लिया जाता है, तो पूर्व को रद्द कर देगा,

विशेष अधिनियम क्रियाशील होना चाहिए, और सामान्य अधिनियम [2020] 5 एस. सी. आर.

कानून के केवल अन्य भागों को प्रभावित करने के लिए लिया जाना चाहिए जिन पर

यह ठीक से लागू हो सकता है। "

जहां दो प्रावधानों में टकराव होता है, अदालतें यह जांच कर सकती हैं कि दोनों में से कौन सा प्रावधान विशिष्ट प्रकृति का है और क्या इसका उद्देश्य यह था कि विशिष्ट प्रावधान सामान्य के आवेदन से बनाया गया है।

प्रावधान। सामान्य प्रावधान विशिष्ट प्रावधान द्वारा कवर की गई स्थितियों को छोड़कर संचालित होता है। वैधानिक निर्माण के इस सिद्धांत के पीछे तर्क यह है कि यदि दो प्रावधानों के बीच टकराव दिखाई देता है, तो यह माना जाना चाहिए कि विधायिका का इरादा संघर्ष का नहीं था और एक विषय-विशिष्ट प्रावधान उन स्थितियों को नियंत्रित करता है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल नहीं हैं -

सामान्य प्रावधान का संचालन।

32. जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1 के मामले में इस न्यायालय के एक प्रारंभिक निर्णय में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने विचार किया कि क्या यह सिद्धांत संघर्षों पर लागू होता है।

एक ही अधिनियम के भीतर। 10 मई 1948 के सरकारी आदेश के खंड 5 (ए) ने अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी कर्मचारी या नियोक्ताओं के पंजीकृत ट्रेड यूनियन को औद्योगिक विवाद की जांच शुरू करने के लिए आदेश के तहत गठित बोर्ड को स्थानांतरित करने का अधिकार प्रदान किया। खंड 23 में यह निर्धारित किया गया है कि जहां क्षेत्रीय सुलह अधिकारी के समक्ष कोई जांच लंबित है, बोर्ड या औद्योगिक न्यायालय के समक्ष किसी मामले के लंबित होने के बावजूद, कोई भी नियोक्ता किसी भी कर्मचारी को कार्यमुक्त या बर्खास्त नहीं करेगा। खंड 24 के तहत, बोर्ड का एक आदेश, जब तक कि अपील में संशोधित नहीं किया जाता है, अंतिम और निर्णायक था। नियोक्ता संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले अपीलार्थी ने तर्क दिया कि एक बार खंड 5 (ए) के तहत आदेश दिए जाने के बाद, खंड 23 का कोई आवेदन नहीं है और नियोक्ता श्रमिकों को बर्खास्त करने के लिए आगे बढ़ सकता है। न्यायालय ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कोई भी नियोक्ता खंड 5 (ए) के तहत केवल एक आवेदन द्वारा खंड 23 के प्रावधानों को विफल कर सकता है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि खंड 23 एक निश्चित उद्देश्य के साथ बनाया गया था। नतीजतन, जहां एक जांच के तहत लंबित था

खंड 23, खंड 5 (ए) के तहत एक आवेदन पर रोक लगा दी गई थी। न्यायालय ने कहाः

" 9 ..... हम निर्माण के एक और प्रसिद्ध नियम को लागू करके उसी परिणाम पर पहुँचते हैं जो सामान्य प्रावधानों से विशेष रूप से प्राप्त होता है। प्रावधान। विद्वान महान्यायवादी ने सुझाव दिया कि हालांकि निर्माण का यह नियम एक अधिनियम में सामान्य प्रावधान और दूसरे अधिनियम में विशेष प्रावधान के बीच संघर्ष को हल करने के लिए लागू होता है, लेकिन यह नियम एक ही विधायी साधन में सामान्य और विशेष प्रावधानों के बीच संघर्ष को हल करने में लागू नहीं हो सकता है।

10 ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1170 एम. डी. छत्तीसगढ़ राज्य सीओओपी। बैंक मैरीडिट बनाम। जिला सहकारी केंद्रिया बैंक मरियम [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

इस सुझाव को किसी भी सिद्धांत में समर्थन नहीं मिलता है। या प्राधिकरण। नियम जो सामान्य प्रावधानों से प्राप्त होना चाहिए

विशिष्ट प्रावधानों के लिए बनाया गया एक मनमाना सिद्धांत नहीं है वकील और न्यायाधीश लेकिन आम लोगों से उत्पन्न होते हैं

पुरुषों और महिलाओं की समझ कि जब एक ही

व्यक्ति दो दिशाएँ देता है एक बड़ी संख्या में

सामान्य रूप से मामलों का और दूसरा केवल उनमें से कुछ के लिए उसका

इरादा यह है कि इन बाद की दिशाओं को प्रबल होना चाहिए

इनके संबंध में जबकि बाकी सभी के संबंध में पहले

दिशा का प्रभाव होना चाहिए।

10. निर्माण के इस नियम को लागू करते हुए कि एक विशिष्ट प्रावधान और एक सामान्य प्रावधान के बीच संघर्ष के मामलों में विशिष्ट प्रावधान सामान्य प्रावधान और सामान्य प्रावधान पर हावी होता है। प्रावधान केवल ऐसे
मामलों पर लागू होता है जो विशेष प्रावधान के दायरे में नहीं आते हैं, हमें यह मानना चाहिए कि खंड 5 (ए) का उस मामले में कोई आवेदन नहीं है जहां खंड 23 के विशेष प्रावधान लागू होते हैं।

इस न्यायालय ने पुष्टि की कि यह सिद्धांत कि सामान्य विशिष्ट को बाहर करता है, उसी अधिनियम के भीतर संघर्ष के मामलों में भी वैधानिक व्याख्या का एक उपकरण है। जहां परस्पर विरोधी प्रावधानों में से एक सामान्य प्रकृति का है और दूसरा विशिष्ट है, 'सामान्य समझ' यह निर्धारित करती है कि विशिष्ट प्रावधान को प्रभावी बनाया जाए, जबकि सामान्य प्रावधान अन्य सभी स्थितियों पर लागू होता रहता है।

33. वाणिज्यिक कर अधिकारी, राजस्थान बनाम मेसर्स बिनानी

सीमेंट्स लिमिटेड, 1 1 संबंधित प्रश्न कि क्या प्रत्यर्थी निर्धारिती उद्योगों के लिए बिक्री कर नई प्रोत्साहन योजना, 1989 के अनुलग्नक 'सी' में प्रविष्टि 4 के तहत केंद्रीय बिक्री कर और राजस्थान बिक्री कर के भुगतान से छूट के लिए पात्रता प्रमाण पत्र देने का हकदार था। योजना के अनुलग्नक 'सी' का शीर्षक 'नई योजना के तहत बिक्री कर छूट की मात्रा' था। अनुलग्नक की प्रविष्टि 4 में निर्धारित किया गया है कि 'प्रतिष्ठित इकाइयां' निश्चित पूंजी निवेश के संदर्भ में 'आईडी1' के साथ कर देयता से 75 प्रतिशत छूट की हकदार होंगी। एक संशोधन द्वारा, प्रविष्टि 1 ई को शामिल किया गया था जिसमें 'नई सीमेंट इकाइयाँ' शामिल थीं और यह निर्धारित किया गया था कि बड़े पैमाने की इकाइयाँ 25 प्रतिशत कर छूट की हकदार होंगी। इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया:

" 27. इससे पहले कि हम वर्तमान अपील में तथ्य स्थिति से निपटें, हम कानून में तय कानूनी स्थिति को दोहराते हैं, जो कि एक सांविधिक स्थिति है।

2003 की सिविल अपील संख्या 336 का निर्णय 19 फरवरी 2014 को लिया गया।

20] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नियम या सांविधिक अधिसूचना, दो अभिव्यक्तियों का उपयोग किया जाता है, एक सामान्य शब्दों में और दूसरा विशेष शब्दों में, व्याख्या के नियमों के तहत, यह समझना होगा कि विशेष शब्द सामान्य अभिव्यक्ति में शामिल होने के लिए नहीं थे। वैकल्पिक रूप से, यह कहा जा सकता है कि जहां एक क़ानून में दोनों शामिल हैं

सामान्य प्रावधान के साथ-साथ विशिष्ट प्रावधान, बाद में होना चाहिए

सामान्य कानून द्वारा निपटाए गए कुछ पहलुओं से निपटने वाला कानून विचाराधीन है, अपनाया गया और लागू किया गया नियम सामंजस्यपूर्ण है निर्माण जिसके द्वारा सामान्य कानून, विशेष कानून द्वारा निपटाए गए हद तक, निहित रूप से निरस्त किया जाता है। इस सिद्धांत की उत्पत्ति लैटिन मैक्सिम ऑफ जनरलिया स्पेशलाइबस नॉन एलिमेंटेंट में पाई जाती है।

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहां दो प्रावधान विचाराधीन हैं-उनमें से एक

सामान्य अनुप्रयोग और प्रकृति में अन्य विशिष्ट, एक सामंजस्यपूर्ण व्याख्या का अर्थ होगा कि सामान्य कानून, जिस हद तक विशेष कानून द्वारा निपटा जाता है, निहित रूप से निरस्त कर दिया जाता है। इस न्यायालय ने सामान्य विशेष गैर-अपमानजनक सिद्धांत पर भरोसा करते हुए कहा कि मद 1 ई एक है

" विषय विशिष्ट प्रावधान "। न्यायालय ने कहा कि संशोधन

(पी) लिमिटेड बनाम सचिव, राजस्व बोर्ड 1 2, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट बनाम उनके कर्मचारी 1 3, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च शिक्षा बोर्ड बनाम परितोष भुपेश कुमार सेठ 1, सी. सी. ई. बनाम जयंत ऑयल मिल्स, 1 5 पी. एस. सतप्पन बनाम आंध्र बैंक लिमिटेड 1, सरबजीत रिक सिंह बनाम भारत संघ और पंकजक्षी बनाम चंद्रिका 1 8। 12 2 ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 207 13 ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 36 14 (1984) 4 एस. सी. सी. 27 15 (1989) 3 एस. सी. सी. 343 16 (2004) 11 एस. सी. सी. 672 17 (2008) 2 एस. सी. सी. 417 18 (2016) 6 एस. सी. सी. 157 एम. डी. छत्तीसगढ़ स्टेट कूप।

34. जबकि धारा 54 (3) की उप-धारा (3) समाजों के एक वर्ग से संबंधित है, खंड (ए) और (बी), जैसा कि 2016 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है।

कैडर पदों पर कैडर अधिकारी, खंड (ए) और (बी) केवल सहकारी बैंकों के सीईओ की नियुक्ति से संबंधित हैं। खंड (क) में विचार किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पात्रता दिशानिर्देश सहकारी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर आसीन अधिकारियों पर लागू होंगे। उल्लेखनीय है कि धारा 54 (3) के खंड (बी) में "यदि संबंधित सहकारी बैंक नियुक्त करने में विफल रहता है" शब्द हैं जो सहकारी बैंकों को अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति सौंपने के इरादे को दर्शाता है। प्रावधान में यह भी कहा गया है कि जहां सहकारी बैंक एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर सीईओ की नियुक्ति करने में विफल रहता है, तो पंजीयक बैंक के एक योग्य अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। यह शर्त कि चूक के मामले में, सी. ई. ओ. का एक अधिकारी होगा धारा 54 (3) के तहत अधिसूचित कैडर का अधिकारी नहीं, बल्कि बैंक सहकारी के साथ निहित होने के लिए विधायिका के इरादे को दर्शाता है।

बैंकों को अपने सी. ई. ओ. की नियुक्ति करने की शक्ति है।

35. स्पष्ट रूप से, 2016 के संशोधन अधिनियम के आधार पर, खंड (ए) और (बी) को नियुक्ति के लिए विशिष्ट प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया था।

सहकारी बैंकों के सी. ई. ओ., उन्हें नियुक्ति की शक्ति प्रदान करते हैं। जहां संभावित रूप से परस्पर विरोधी प्रावधानों की दो व्याख्याएं संभव हैं, अदालतों को उस व्याख्या को अपनाना चाहिए जो विधायिका के इरादे को आगे बढ़ाती है जैसा कि मैक्सिम वर्बा इटा सन्ट इंटेलीजेंडा उट रेस मैजिस वैलेट क्वाम पेरेत में निहित है। कानून पर क्रेज़ में कहा गया है:

" ..... यदि किसी प्रावधान के दो निर्माण संभव हैं, और एक स्पष्ट रूप से विधायी उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा और दूसरा स्पष्ट रूप से बहुत कम या कुछ भी हासिल नहीं करेगा, तो पहला होगा

पसंद किया जाता है "।

36. मामले के इस दृष्टिकोण से, 2016 के संशोधन अधिनियम की धारा 54 (3) और खंड (ए) और (बी) के सामंजस्यपूर्ण निर्माण से यह निष्कर्ष निकलता है कि खंड (ए) और (बी) सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित विशेष प्रावधान हैं जो धारा 54 (3) के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति से अलग किए गए हैं। हम इस दृष्टिकोण में धारा 57 बी (19) को हटाने और धारा 54 (3) में खंड (ए) और (बी) को एक साथ डालने से मजबूत हुए हैं।

37. वर्तमान मामलों में कठिनाई पहले प्रत्यर्थी के इस तर्क से उत्पन्न होती है कि खंड (ए) और [2020] 5 एस. सी. आर. द्वारा बनाया गया अपवाद।

(बी) धारा 54 (3) उन केंद्रीय समितियों पर भी लागू होती है जो 1960 के अधिनियम की धारा 49-ई (2) के दायरे में आती हैं। इस प्रस्तुति में, जहां एक केंद्रीय सोसायटी के रूप में एक सहकारी बैंक को धन प्राप्त हुआ है

राज्य सरकार धारा 49-ई (2) में निर्धारित तरीके से, ऐसे केंद्रीय बैंक स्वतंत्र रूप से एक सी. ई. ओ. की नियुक्ति कर सकते हैं और धारा के तहत गठित संवर्ग से अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए बाध्य

54 , भले ही ऐसा संवर्ग गठित किया गया हो।

38. जैसा कि हमने देखा है, धारा 54 की उप-धारा (2) और उप-धारा (3) दोनों ही प्रावधान केवल सहकारी बैंकों तक ही सीमित नहीं हैं।

तथापि, उप-धारा (3) के खंड (क) और (ख) विशेष रूप से सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित हैं। 2016 के संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 54 की उप-धारा (3) में खंड (ए) और (बी) को शामिल करते समय, विधायिका ने धारा के प्रावधानों को बरकरार रखा है।

राज्य सरकार द्वारा उसमें निर्धारित प्रपत्रों में विस्तारित किया गया। "केंद्रीय समाज" पद को एक सहकारी भूमि विकास बैंक या किसी अन्य समाज के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका संचालन राज्य के एक हिस्से तक सीमित है, जैसा कि धारा (2) (सी-आई) में पहले देखा गया है। धारा 49-ई में निहित प्रावधानों का उद्देश्य विनियामक नियंत्रण लाना है। धारा 54 के तहत बनाए गए संवर्ग के अधिकारियों में से सी. ई. ओ. की नियुक्ति की अपेक्षा करके राज्य सरकार। वर्ष 2016

उप-धारा (3) के खंड (ए) और (बी) के प्रावधान लाने वाले संशोधन अधिनियम ने धारा 49-ई के संचालन को प्रभावित नहीं किया है। अतः धारा 49 द्वारा शासित केंद्रीय सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति।

ई (2) धारा 54 के तहत बनाए गए संवर्ग के अधिकारियों में से होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि धारा 49-ई की उप-धारा (2) में एक गैर-बाधा शर्त शामिल है। परिणामस्वरूप, 2016 के संशोधन के बावजूद

अधिनियम, धारा 49-ई की उप-धारा (2) के विवरण के भीतर आने वाले केंद्रीय सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को धारा 54 के तहत बनाए गए संवर्ग के अधिकारियों में से नियुक्त किया जाना है, यदि ऐसा संवर्ग

39. यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि धारा 49-ई (2) एक स्व-निहित प्रावधान नहीं है। धारा 49-ई (2) (बी) (आई) केवल यह निर्धारित करती है कि केंद्रीय सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो इसके दायरे में आते हैं, को नियुक्त किया जाएगा। धारा 54 के तहत बनाए गए संवर्गों के अधिकारियों के बीच। इस प्रकार,

जहां धारा 54 के तहत एक संवर्ग का गठन किया गया है, वहां एक केंद्रीय सोसायटी एम. डी. छत्तीसगढ़ राज्य सीओओपी।

बैंक मैरीडिट बनाम। जिला सहकारी केंद्रिया बैंक मरियम [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

धारा 49-ई (2) के दायरे में आने वाले ऐसे संवर्ग से अपने अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए बाध्य हैं। न तो धारा 49-ई और न ही धारा 54 (2) निर्दिष्ट करती है। क्या नियुक्ति शीर्ष के संवर्ग से की जानी है

धारा 54 (2) के तहत गठित सोसायटी या केंद्रीय सोसायटी। धारा 54 (3) राज्य सरकार को समितियों के उन वर्गों को निर्दिष्ट करते हुए एक अधिसूचना जारी करने का अधिकार देती है जो ऐसे संवर्गों के अधिकारियों को नियुक्त करेंगे। शीर्ष या केंद्रीय समितियों द्वारा बनाए रखा जाता है जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया जा सकता है। राज्य सरकार को शीर्ष या केंद्रीय समितियों द्वारा बनाए गए संवर्गों के अधिकारियों को नियुक्त करने वाली समितियों के वर्ग को अधिसूचित करने की सामान्य शक्ति प्रदान करने के अलावा, धारा 54 (3) के तहत अधिसूचना धारा 49-ई (2) में परिकल्पित राज्य सरकार के नियामक नियंत्रण को उसमें निर्दिष्ट तरीके से संचालित करती है।

40. यह राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12 जनवरी 1971 को जारी अधिसूचना में स्पष्ट है।

धारा 49-ई (2) की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की प्रबल शक्ति इस प्रावधान को निष्क्रिय कर देगी। यह उन समितियों पर राज्य सरकार के नियामक नियंत्रण को सुनिश्चित करने के मुख्य उद्देश्य को विफल कर देगा, जिनमें उसने वित्तीय योगदान दिया है। दूसरी ओर, यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि एक सहकारी बैंक जो धारा 49-ई (2) के दायरे में एक केंद्रीय सोसायटी है, को एपेक्स सोसाइटी द्वारा प्रतिनियुक्त संवर्ग अधिकारी को स्वीकार और नियुक्त करना चाहिए, सहकारी के लिए जोड़े गए विशेष प्रावधान को विफल कर देता है। धारा 54 (3) के खंड (ए) और (बी) में बैंक। धारा 54 (3) की धारा 49-ई (2) (बी) और खंड (ए) और (बी) दोनों एक व्यक्ति की नियुक्ति से संबंधित हैं।

सीईओ।

41. जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, यह कानून का सिद्धांत है कि जहां किसी अधिनियम के दो प्रावधान विरोधाभासी प्रतीत होते हैं, अदालतों को चाहिए कि एक ऐसी व्याख्या को अपनाना जो दोनों प्रावधानों को यथासंभव सुसंगत बनाए। न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह ने अपने मौलिक कार्य 'सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत' में कहा हैः

" ..... एक ही अधिनियम की दो धाराओं के बीच "आमने-सामने टकराव" से बचना अदालत का कर्तव्य है और "जब भी ऐसा करना संभव हो, उन प्रावधानों का अर्थ लगाना जो विरोधाभासी प्रतीत हों ताकि वे सामंजस्य स्थापित करें "।

फ्रांसिस बेनियन ने अपने काम सांविधिक व्याख्या में कहा हैः

" असंगत अधिनियम-इस सिद्धांत का एक सामान्य अनुप्रयोग उसी अधिनियम के भीतर विरोधाभासी अधिनियमों के संबंध में है। अधिनियम ए अपने आप में स्पष्ट और असंदिग्ध हो सकता है। अतः अधिनियम में कहीं और स्थित बी को अधिनियमित किया जा सकता है। लेकिन अगर वे एक-दूसरे के विपरीत हैं, तो दोनों को शाब्दिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। ए 'बी' और बी 'ए' को पूर्ववत करता है। अदालत को उनके बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, लेकिन यह केवल एक या दोनों को एक तनावपूर्ण स्थिति देकर ही प्राप्त किया जा सकता है।

निर्माण "।

जहाँ किसी अधिनियम के दो प्रावधान विरोधाभासी प्रतीत होते हैं, वहाँ अदालतें आसानी से 'या तो/या' स्थिति का अनुमान नहीं लगाती हैं। अदालतों को करना चाहिए

जहां तक संभव हो, दोनों प्रावधानों का प्रभावी संचालन इस तरह से सुनिश्चित करने के लिए प्रावधानों का सामंजस्यपूर्ण अर्थ लगाएं जो अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है। प्रत्येक प्रावधान, वाक्यांश, खंड और शब्द की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए ताकि अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। कानून के किसी भी शब्द या हिस्से को अलग-अलग नहीं माना जा सकता है। अदालतों को सचेत रहना चाहिए

कि ऐसी व्याख्या जो किसी भी प्रावधान को अनुचित बनाती है, से तब तक बचा जाना चाहिए जब तक कि संघर्ष से कोई संभावित सुलह न हो।

42. कृष्ण कुमार बनाम राजस्थान राज्य, 1 9 में राजस्थान

राज्य सड़क परिवहन निगम, जयपुर ने 1977 में मोटर वाहन अधिनियम 193920 की धारा 68-सी के तहत विवादित सड़क के विशेष संचालन के लिए एक योजना का प्रस्ताव रखा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 2 1 के अधिनियमन पर, एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें तर्क दिया गया था कि 1939 अधिनियम के तहत योजना को अधिसूचित करने में अनुचित देरी के कारण, योजना को 1988 अधिनियम द्वारा बचाया नहीं गया था। 1988 के अधिनियम की धारा 100 (4) में निर्धारित किया गया था कि एक मसौदा योजना को इसके प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर यह समाप्त हो जाएगी। धारा 217 (2) (ई) ने निर्धारित किया कि

1939 के अधिनियम के निरसन के बावजूद, धारा 68-सी के तहत प्रस्तावित योजना, यदि 1988 के अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पहले लंबित है, तो 1988 के अधिनियम की धारा 100 के प्रावधानों के अनुसार अंतिम रूप दिया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि विधायी इरादे के विपरीत,

19 (1991) 4 एस. सी. सी. 258

20 0 " 1939 अधिनियम "एम. डी. छत्तीसगढ़ राज्य सीओओपी। बैंक मैरीडिट बनाम। जिला सहकारी केंद्रिया बैंक मरियम [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

1939 के अधिनियम के तहत किसी भी योजना को बचाया नहीं जाएगा यदि उस अधिनियम के तहत योजनाओं का मूल्यांकन उनके प्रकाशन की तारीख के संदर्भ में किया जाना था। दोनों प्रावधानों के बीच स्पष्ट संघर्ष को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने दोनों प्रावधानों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या की और कहाः

" 10. धारा के बीच कुछ स्पष्ट संघर्ष प्रतीत होता है

100 (4) और अधिनियम की धारा 217 (2) (ई)। जबकि धारा 217 (2) (ई)

धारा 100 के अनुसार किसी योजना को अंतिम रूप देने की अनुमति देता है

नया अधिनियम। दूसरी ओर यदि निर्धारित एक वर्ष की अवधि धारा 100 (4) के तहत प्रकाशन की तारीख से गणना नहीं की जाती है।

पुराने अधिनियम की धारा 68-सी के तहत योजना और इसके बजाय

एक वर्ष की अवधि की गणना प्रारंभ होने की तारीख से की जाती है। अधिनियम के दोनों प्रावधानों को पूरी तरह से प्रभावी किया जा सकता है।

11. यह व्याख्या का स्थिर सिद्धांत है कि जहाँ वहाँ प्रकट होता है

एक ही अधिनियम की दो धाराओं में विसंगति होना, सिद्धांत

सिर से बचने के लिए सामंजस्यपूर्ण संरचना का पालन किया जाना चाहिए।

टकराव पर। यह हल्के में नहीं लेना चाहिए कि संसद ने एक हाथ से जो दिया है, वह दूसरे हाथ से ले गई है। कानून के एक खंड के प्रावधानों का उपयोग दूसरे के प्रावधानों को हराने के लिए नहीं किया जा सकता है।

जब तक कि इसका मिलान करना असंभव न हो "।

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहां संसद कोई लाभ प्रदान करती है, वह

यह आसानी से नहीं माना जाना चाहिए कि यह एक ही समय में लाभ वापस लेने का इरादा रखता है। इसके अलावा, एक धारा के प्रावधानों का उपयोग दूसरे को हराने के लिए नहीं किया जा सकता है, जब तक कि दोनों के बीच सुलह की कोई संभावना न हो।

परस्पर विरोधी प्रावधान।

43. ब्रिटिश एयरवेज पीएलसी बनाम भारत संघ 2 22 में, अपीलार्थी

एक विमान वाहक था जो यात्रियों और माल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन के व्यवसाय में लगा हुआ था। यह तर्क दिया गया कि चूंकि वे सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 2 (31) में परिभाषित "प्रभारी व्यक्ति" नहीं थे,

भेजे गए माल की मात्रा को उतारने में कमी के लिए धारा 116 के तहत उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। धारा 42 के तहत अधिनियम के तहत एक अधिकारी को माल के परिवहन के लिए एक लिखित आदेश जारी करने की आवश्यकता थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सीमा शुल्क घर से। धारा 42 की उप-धारा (2) का खंड (ई) यह निर्धारित करता है कि ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि परिवहन का प्रभारी व्यक्ति उचित अधिकारी को संतुष्ट नहीं कर देता है कि उन पर धारा 116 के तहत कोई जुर्माना या किसी भी जुर्माने का भुगतान नहीं किया जा सकता है।

सीमा शुल्क के किसी भी अधिकारी के सामने किसी भी ऐसे एजेंट के रूप में खुद का प्रतिनिधित्व करता है। प्रभारी व्यक्ति, और उस अधिकारी द्वारा इस रूप में स्वीकार किया जाता है, उत्तरदायी होगा।

प्रभारी व्यक्ति के किसी भी दायित्व की पूर्ति के लिए। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संशोधन को प्रभाव दिया जाना चाहिए, जो अपीलार्थी के तर्क को स्वीकार किए जाने पर निरर्थक हो जाएगा। इस पर भरोसा करें

सामंजस्यपूर्ण व्याख्या के सिद्धांत पर, न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" यह एक क़ानून के निर्माण का एक प्रमुख सिद्धांत है कि विभिन्न प्रावधानों को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक प्रावधान की अपनी भूमिका हो और किसी भी संघर्ष की स्थिति में एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण किया जाना चाहिए। सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सर्वविदित सिद्धांत यह है कि सभी प्रावधानों को प्रभावी बनाया जाएगा और इसके लिए कानून के किसी भी प्रावधान का अर्थ अन्य प्रावधानों के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए ताकि इसे व्यवहार्य बनाया जा सके। एक विशेष प्रावधान नहीं उठाया जा सकता है और

इसके तहत उस ओर से किए गए एक अन्य प्रावधान को विफल करने के लिए व्याख्या की गई कानून। यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह एक कानून का ऐसा निर्माण करे जो शरारत को दबाए और कानून को आगे बढ़ाए।

इलाज "।

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक प्रावधान

विरोधाभासी प्रतीत होने वाले प्रावधानों को प्रस्तुत करने के तरीके से समझाया गया

काम करने योग्य। किसी कानून के दो प्रावधानों की व्याख्या करने में, अदालतों को ऐसी व्याख्या को अपनाना चाहिए जो किसी भी प्रावधान को विफल नहीं करती है और उनके अधिनियमन द्वारा परिकल्पित उपचार को आगे बढ़ाती है।

एम. डी. छत्तीसगढ़ राज्य सीओओपी। बैंक मैरीडिट बनाम। जिला सहकारी केंद्रिया बैंक मरियम [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

45. इस दृष्टिकोण से, इस न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी प्रावधान नहीं है

धारा 49-ई (2) और न ही धारा 54 (3) (ए) और (बी) को कानून के एक मृत पत्र में बदल दिया गया है। यह नहीं कहा जा सकता है कि सहकारी बैंकों को बनाने के लिए

धारा 54 (3) के तहत राज्य सरकार को प्रदत्त सक्षम करने की शक्ति से उनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति समान रूप से लागू होती है -

वे सहकारी बैंक जो धारा 49-ई (2) के दायरे में केंद्रीय समितियाँ हैं। हमारा मानना है कि राज्य सरकार को धारा 54 (3) के तहत उन सहकारी बैंकों के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार है जो धारा 49-ई (2) के दायरे में आने वाली केंद्रीय समितियां हैं, जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि सहकारी बैंक अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति कैडर से करेगा।

एपेक्स सोसायटी द्वारा गठित। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि धारा 54 (3) के खंड (ए) और (बी) को प्रभावी बनाया जाए, अधिसूचित एपेक्स सोसाइटी संबंधित सहकारी बैंक को अधिकारियों का एक पैनल भेजेगी।

जिसमें से वह अपने सी. ई. ओ. की नियुक्ति करेगा, बशर्ते कि अधिकारी आर. बी. आई. द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो।

46. जिस दृष्टिकोण से हमने लिया है, नियामक नियंत्रण

सहकारी बैंकों पर राज्य सरकार, जिन्होंने धारा 49-ई (2) में निर्दिष्ट तरीके से राज्य वित्त पोषण प्राप्त किया है, को बरकरार रखा जाता है, जो प्रावधान के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है। उच्च न्यायालय ने गलती की थी

अभिनिर्धारित करते हुए कि सी. ई. ओ. की नियुक्ति के मामले में, "शीर्ष अधिकारी

निकाय या केंद्रीय समाज के पास कोई शक्ति या भूमिका नहीं है। उच्च न्यायालय के निर्णय का केंद्रीय समितियों के मामलों पर नियामक नियंत्रण को हटाने के मामले में गंभीर प्रभाव पड़ेगा। साथ ही, सहकारी बैंक को एक पैनल से अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान करने से निम्नलिखित के आधार पर जोड़े गए विशेष प्रावधान को प्रभावी बनाता है -

धारा 54 (3) में खंड (ए) और (बी)। इस दृष्टिकोण को इस तथ्य के आधार पर मजबूत किया जाता है कि इसके विलोपन से पहले, धारा 57-बी (19) अध्याय वी. ए. में एक प्रावधान था जिसका उप-धारा (1) इस प्रकार पढ़ता हैः

" इस अधिनियम या नियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद

किसी भी पंजीकृत सोसायटी या आदेश के तहत या उपनियमों के तहत तैयार किया गया इसके अधीन जारी किए गए इस अध्याय के प्रावधानों में -

प्रबल प्रभाव "।

(जोर दिया गया)

धारा 57-बी (19), जिसका उद्देश्य प्रबल प्रभाव डालना था,

खंड (ए) और (बी) को हटा दिया गया और 1960 के अधिनियम की धारा 54 (3) में जोड़ा गया। सहकारी बैंकों को प्रदत्त पूर्ण शक्ति सी. ई. ओ. की नियुक्ति को हटा दिया गया था। इस दृष्टिकोण से, धारा 49-ई (2) और खंड [2020] 5 एस. सी. आर.

धारा 54 (3) की आईडी (बी) को सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ा जाना चाहिए

मैं ऊपर।

47. उपरोक्त चर्चा से कानून की जो स्थिति सामने आती है, वह है -

(i) धारा 54 (3) के खंड (ए) और (बी) के लिए विशेष प्रावधानों के रूप में

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाला अधिकारी इस संबंध में। धारा 54 (3) में 'समाजों का वर्ग' शब्द

के सीमित उद्देश्य के लिए सहकारी बैंकों को बाहर करता है

उनके सीईओ की नियुक्ति;

((ii) हालांकि, जहां एक सहकारी बैंक एक केंद्रीय सोसायटी है।

धारा 49-ई (2) के दायरे में सीईओ की नियुक्ति की जाएगी।

गठित संवर्ग के अधिकारियों में से और

धारा 54 के तहत बनाए रखा गया है, जहां इस तरह के संवर्ग को

गठित किया गया। राज्य सरकार को धारा 54 (3) के तहत प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में एक अधिसूचना जारी करने का अधिकार है, जिसमें निर्दिष्ट किया गया है कि ऐसा सहकारी बैंक एपेक्स सोसाइटी द्वारा बनाए गए संवर्ग से अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति करेगा, जैसा कि उसमें अधिसूचित किया गया है। अधिसूचित शीर्ष समिति संबंधित सहकारी बैंक को अधिकारियों का एक पैनल भेजेगी, जिसमें से सहकारी बैंक अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति करेगा, बशर्ते कि ऐसे अधिकारी के पास निम्नलिखित पात्रता मानदंड हों। भारतीय रिज़र्व बैंक;
और

(iii) जहां धारा 54 के तहत कोई संवर्ग गठित नहीं किया गया है, वहां धारा 49-E (2) के तहत एक केंद्रीय सोसायटी सहकारी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति धारा 49-E (2) (b) (ii) में निर्धारित पंजीयक के पूर्व अनुमोदन के साथ की जाएगी।

48. वर्तमान मामले में, यह विवादित नहीं था कि प्रथम प्रतिवादी केंद्रीय सोसायटी धारा 49-ई (2) के दायरे में आती है।

एक्ट करें। धारा 54 (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए

अधिनियम, राज्य सरकार ने 12 जनवरी को एक अधिसूचना जारी की

यह निर्दिष्ट करना कि केंद्रीय सहकारी बैंक नियुक्त करने के लिए बाध्य थे

ers, उनकी उपलब्धता के अनुसार, केवल द्वारा बनाए गए कैडरों से

सहकारी बैंक। 26 को इसी तरह की अधिसूचना जारी की गई थी।

1971 जिसके संदर्भ में, केंद्रीय सहकारी बैंकों को अनुमति दी गई थी

अधिकारियों के संवर्गों को शामिल करना और यह निर्धारित किया गया था कि गाँव एम. डी. छत्तीसगढ़ राज्य सीओओपी।

बैंक मैरीडिट बनाम। जिला सहकारी केंद्रिया बैंक मरियम [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

बड़े आकार की कृषि ऋण समितियों सहित सहकारी समितियों को केवल केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा बनाए गए संवर्गों से लिए गए अधिकारियों को नियुक्त करना होगा। इसी तरह, 26 जून 1971 की एक अन्य अधिसूचना द्वारा, केंद्रीय सहकारी बैंकों को ग्रामीण सहकारी समितियों में प्रबंधकों की नियुक्ति के लिए अधिकारियों के कैडर बनाए रखने का निर्देश दिया गया था

बड़े आकार की कृषि ऋण समितियों सहित समितियाँ। 49. सातवाँ प्रत्यर्थी अपीलार्थी द्वारा बनाए गए संवर्ग का अधिकारी नहीं है। नतीजतन, पहली कार्रवाई

सातवें प्रतिवादी को सी. ई. ओ. के रूप में नियुक्त करने की मांग में प्रतिवादी कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। सी. ई. ओ. के रूप में छठे प्रत्यर्थी की नियुक्ति को सोसायटी के पंजीयक द्वारा 21 अगस्त 2017 को उनके उत्तर द्वारा अनुमोदित किया गया था और 25 अगस्त 2017 को पहले प्रत्यर्थी के बी. ओ. डी. द्वारा स्वीकार किया गया था।

50. हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं और 7 अगस्त 2018 के उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश को खारिज कर देते हैं। में।

परिणामस्वरूप, हम विद्वान एकल न्यायाधीश के खारिज करने के आदेश को बरकरार रखते हैं

रिट याचिका, हालांकि उन कारणों के लिए जो हमने ऊपर बताए हैं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।